न्यायालय : विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण (सी.बी.आई.), देहरादून
एवं
तृतीय अपर सेशन न्यायाधीश, देहरादून

उपस्थित : मदन राम, उत्तराखण्ड उच्चतर न्यायिक सेवा।

सी.बी.आई. वाद संख्या 10 वर्ष 2018

FORM- A

थाना – सी.बी.आई., एस.पी.ई., देहरादून एफ0आई0आर0 नंबर – आर.सी.0072018ए0006 अंतर्गत धारा – 120बी, 420, 468, 471 भारतीय दण्ड संहिता, 1880 एवं 13(2) सपठित धारा 13(1)(डी) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988	
शिकायतकर्ता	श्री सत्यपाल सिंह, महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक, पता– उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक, मुख्य कार्यालय 18 न्यू रोड, देहरादून।
सी.बी.आई.	श्री अमरेंदर सिंह, विद्वान वरिष्ठ लोक अभियोजक (सीबीआई) एवं श्री अभिषेक अरोड़ा विद्वान लोक अभियोजक (सीबीआई)।
अभियुक्तगण	**ए–1.** राम अवतार सिंह दिनकर पुत्र स्व0 दुलीराम, निवासी– मकान नं0 117बी, मिथलापुरी फेस–2 तुलाशेरपुर, डेलीपुर, बेरली। **ए–2.** मौ0 फुरकान पुत्र शमशाद हुसैन, निवासी– दोराहा, बाजपुर, जिला उधमसिंहनगर। **(जुर्म स्वीकार करने पर पत्रावली पृथक)** **ए–3.** मंजीत सिंह पुत्र बाजा सिंह, निवासी राजपुरा नम्बर 2, पो.आ. जोगीपुरा तहसील बाजपुर, जिला उधमसिंहनगर। **ए–4.** गजपाल सिंह पुत्र ठाकुर सिंह, निवासी ग्राम बनाकहेरा तहसील बाजपुर, जिला उधमसिंहनगर। **(जुर्म स्वीकार करने पर पत्रावली पृथक)** **ए–5.** रमेश सिंह पुत्र इन्दर सिंह निवासी कलाबदंवारी, पो.आ. बनाकहेरा तहसील बाजपुर, जिला उधमसिंहनगर। **ए–6.** प्रीतम सिंह पुत्र भान सिंह निवासी मध्याय हटटू तहसील बाजपुर, जिला उधमसिंह नगर। **ए–7.** सर्वजीत सिंह पुत्र जगतार सिंह निवासी बैन्टखेरी, तहसील बाजपुर, जिला उधमसिंहनगर। **ए–8.** भीम सैन पुत्र तिवेणी दास निवासी गोबरा तहसील बाजपुर, जिला उधमसिंहनगर।

	ए–9. कृष्ण कुमार पुत्र रामलाल, निवासी गोबरा तहसील बाजपुर, जिला उधमसिंहनगर। **ए–10.** कुलदीप सिंह पुत्र दर्शन सिंह निवासी केशोवाला, तहसील बाजपुर, जिला उधमसिंहनगर। **(जुर्म स्वीकार करने पर पत्रावली पृथक)** **ए–11.** सरजीत सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह निवासी गजरौला पो.ओ. जोगीपुरा, तहसील बाजपुर, जिला उधमसिंहनगर। **ए–12.** वेद प्रकाश पुत्र राम लाल निवासी गोबरा तहसील बाजपुर, जिला उधमसिंहनगर। **(मृत्यु हो जाने पर उपशमित)** **ए–13.** मंजीत सिंह पुत्र जसवंत सिंह निवासी गजरौला पो.ओ. जोगीपुरा, तहसील बाजपुर, जिला उधमसिंहनगर। **ए–14.** करनैल सिंह पुत्र तेजा सिंह निवासी टांडा अमीचंद तहसील बाजपुर, जिला उधमसिंह, नगर।**(जुर्म स्वीकार करने पर पत्रावली पृथक)** **ए–15.** अशोक कुमार पुत्र त्रिवेणी दास निवासी गोबरा तहसील बाजपुर, जिला उधमसिंहनगर। **(मृत्यु हो जाने पर उपशमित)**
बचाव पक्ष	1. अभियुक्त राम अवतार सिंह दिनकर एंव रमेश सिंह की ओर से– श्री गौरव त्रिपाठी, एडवोकेट। 2. अभियुक्तगण मंजीत सिंह पुत्र बाजा सिंह, गजपाल सिंह, रमेश सिंह, प्रीतम सिंह, सर्वजीत सिंह, भीम सैन, कृष्ण कुमार, कुलदीप सिंह, सरजीत सिंह, मंजीत सिंह पुत्र जसवन्त सिंह एवं करनैल सिंह की ओर से– श्री राजेश चन्द्र शर्मा, एडवोकेट एवं श्री अमरजीत सिंह, एडवोकेट।

FORM- B

Date of Offence	Year 2014-15
Date of FIR	19.06.2018
Date of Chargesheet	24.12.2018
Date of Framing of Charges	**09.08.2019 & 17.08.2019**
Date of Commencement of evidence	30.08.2019
Date on which judgment is reserved	31.03.2026
Date of the Judgment	15.04.2026
Date of the Sentencing Order, if any	15.04.2026

Details of Accused Persons :

Rank of the Accused	Name of Accused	Date of Arrest	Date of Release on Bail	Offences charged with	Whether Acqitted or convicted	Sentence Imposed	Period of Detention Undergone during Trial for purpose of section 428 of Cr.PC
ए–1	राम अवतार सिंह दिनकर	12.02.2018	13.08.2024	धारा 120बी, 420 आईपीसी एवं 13(2) सपठित धारा 13(1)डी पीसी एक्ट, 1988	Convicted	As per Judgment	1309 Days
ए–3	मंजीत सिंह पुत्र बाजा सिंह	21.02.2019	21.02.2019	धारा 120बी सपठित 420 आईपीसी	Convicted	As per Judgment	NIL
ए–4	गजपाल सिंह	05.04.2019	06.04.2019	धारा 120बी सपठित 420 आईपीसी	Convicted	As per Judgment	2 Days
ए–5	रमेश सिंह	26.02.2019	26.02.2019	धारा 120बी सपठित 420 आईपीसी	Convicted	As per Judgment	NIL
ए–6	प्रीतम सिंह	21.02.2019	21.02.2019	धारा 120बी सपठित 420 आईपीसी	Convicted	As per Judgment	NIL
ए–7	सर्वजीत सिंह	21.02.2019	21.02.2019	धारा 120बी सपठित 420 आईपीसी	Convicted	As per Judgment	NIL
ए–8	भीम सैन	20.02.2019	20.02.2019	धारा 120बी सपठित 420 आईपीसी	Convicted	As per Judgment	NIL
ए–9	कृष्ण कुमार	26.02.2019	26.02.2019	धारा 120बी सपठित 420 आईपीसी	Convicted	As per Judgment	NIL
ए–10	कुलदीप सिंह	21.02.2019	21.02.2019	धारा 120बी सपठित 420 आईपीसी	Convicted	As per Judgment	NIL
ए–11	सरजीत सिंह	05.04.2019	06.04.2019	धारा 120बी सपठित 420 आईपीसी	Convicted	As per Judgment	2 Days
ए–13	मंजीत सिंह पुत्र जसवंत सिंह	12.02.2018	12.02.2018	धारा 120बी सपठित 420 आईपीसी	Convicted	As per Judgment	NIL

ए–14	करनैल सिंह	26.02.2019	26.02.2019	धारा 120बी सपठित 420 आईपीसी	Convicted	As per Judgment	NIL

निर्णय

दिनांक 15.04.2026:– केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, भारत सरकार (इसके पश्चात् सीबीआई) द्वारा इस न्यायालय के समक्ष अभियुक्त राम अवतार सिंह दिनकर के विरूद्ध धारा 120बी सपठित धारा 420 भारतीय दण्ड संहिता (इसके बाद आईपीसी) एवं धारा 13(2) सपठित धारा 13(1)डी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (इसके बाद पीसी एक्ट) तथा अन्य अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध धारा 120बी सपठित धारा 420 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के विचारण किये जाने हेतु आरोप पत्र प्रेषित किया गया है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 12.06.2018 को वादी मुकदमा पी.डब्ल्यू.–1 श्री सत्यपाल सिंह, महाप्रबंधक, उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक (यूजीबी), देहरादून द्वारा सीबीआई, देहरादून में इस आशय की शिकायत प्रदर्श क–1 दर्ज कराई गई कि बैंक की आंतरिक जांच में पता चला है कि यूजीबी शाखा बाजपुर के तत्कालीन शाखा प्रबन्धक राम अवतार सिंह दिनकर ने वर्ष 2014–2015 में षडयन्त्रपूर्वक कर्ज लेने वाले किसानों और कृषि उपकरणों के डीलर मैसर्स केजीएन ट्रैक्टर्स एंड इक्विप्मेंट्स, दोराहा, बाजपुर के प्रोपराइटर मौहमद फुरकान व इरशाद के साथ मिलीभगत कर बैंक के प्रचलित नियम कानूनों को नजर अन्दाज कर कृषि सावधि ऋण (एग्रीकल्चरल टर्म लोन–इसके बाद एटीएल) सह अभियुक्तगण किसानों को वितरित किया और एटीएल के मार्जिन मनी के लिये किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) स्वीकृत किया गया। जबकि केसीसी किसानों को खेती, फसल कटाई और इससे सम्बन्धित कृषि गतिविधियों के लिये ही दिया जा सकता था और इसका प्रयोग एटीएल के मार्जिन मनी के रूप में नहीं किया जा सकता था। एटीएल स्वीकृत कर बैंक ने कृषि उपकरणों की खरीद हेतु प्रचलित दरों से अधिक मूल्य के कोटेशनों पर केजीएन ट्रैक्टर्स एंड इक्विप्मेंट्स को सीधे ऋण की धनराशि अन्तरित की गयी। जांच में पाया गया कि केजीएन ने ऋण लेने वाले किसानों को कोई कृषि उपकरण दिये ही नहीं और चैकों अथवा नकद रूप से ऋणी सहअभियुक्तगण को एटीएल की कुछ धनराशियां वापस की गयी। जांच में यह भी पाया गया कि ऋणी किसानों सहअभियुक्तगण के कृषि उपकरणों का झूठा बीमा बैंक के समझौता ज्ञापन के विरूद्ध जाकर किया गया और केजीएन के व्यापार कर रिटर्न में प्रश्नगत अवधि में कृषि उपकरणों की खरीद करना नहीं पाया गया। यूजीबी शाखा बाजपुर के प्रबन्धक राम अवतार

सिंह दिनकर ने ऋण वितरण का कार्य बैंक के प्रचलित नियमों के विरूद्ध द्वितीय अधिकारी को न देकर स्वयं किया जा रहा था तथा प्रश्नगत एटीएल के लिये उसने अभिलेखों में बेईमानीपूर्वक ऋण स्वीकृत करने से पूर्व तथा पश्चात् के स्थलीय निरीक्षण सन्तोषजनक दिखाये थे। यह भी पता चला कि प्रश्नगत एटीएल ऋण स्वीकृत होने से पूर्व कुछ ऋणियों के अन्य बैंकों के ऋण खाते गैर निष्पादित परिसम्पत्तियां (नॉन परफार्मिंग एसेट्स–एनपीए) चल रहे थे जो केसीसी और एटीएल ऋण की धनराशि से निपटान किये गये। जांच पाया गया कि ऋणी अभियुक्तगण के पास नये कृषि उपकरण नहीं थे तथा जिसके पास उपकरण थे भी तो ये पुराने उपकरण थे। इस प्रकार एटीएल ऋण का इस्तेमाल उस प्रयोजन के लिए नहीं किया गया जिसके लिए उसे मंजूर किया गया था। किन्तु शाखा प्रबन्धक ने बेईमानीपूर्वक अभिलेखों में यह दिखाया गया कि किसानों के पास ऋण से खरीद किये कृषि उपकरण सही गुणवत्ता के पाये गये थे। बैंक की जांच में यह भी पता चला कि केजीएन द्वारा यूजीबी शाखा बाजपुर के प्रबन्धक को नकद रूप से कमीशन दिया गया और कुछ मामलों में कर्जदारों को ऋण की पूरी रकम वापस नहीं की गयी। इस प्रकार षडयन्त्रपूर्वक अभियुक्तगण ने एटीएल ऋण से सदोष लाभ प्राप्त लिया और ऋण एनपीए हो जाने के कारण बैंक को मु0 3,39,84,657/–रूपये का नुकसान हुआ।

3. वर्ष 2014–2015 के दौरान ब्रांच मैनेजर राम अवतार सिंह दिनकर द्वारा वितरित एटीएल और केसीसी ऋणों का विवरण निम्नवत् हैः–

S/N	Loan Account No.	Name & Address of Borrower	Date of Sanction/Disbursement	Loan Amount	Balance Outstanding
1	76008426481	मंजीत सिंह पुत्र बाजा सिंह	22-12-2014	1500000	1559613
2	76008420592	मंजीत सिंह पुत्र बाजा सिंह	22-12-2014	400000	403798
3	76008434833	सन्तोबाई	30-12-2014	280000	285931
4	76008436807	सन्तोबाई	30-12-2014	1300000	1355924
5	76009055195	गजपाल सिंह	13-02-2015	343000	238402
6	76009057396	गजपाल सिंह	10-02-2015	800000	837003
7	76009053630	सेवा सिंह	10-02-2015	399000	252063
8	76009057045	सेवा सिंह	10-02-2015	900000	939214
9	76007657396	रमेश सिंह	22-10-2014	286000	288295
10	76007657487	रमेश सिंह	22-10-2014	740000	766326

11	76008002063	जागीर सिह	15-11-2014	198000	218010
12	76008001274	जागीर सिंह	15-11-2014	1100000	1142952
13	76006814986	प्रीतम सिंह	15-11-2014	443000	444106
14	76007753769	प्रीतम सिंह	04-11-2014	1500000	1555404
15	76009042611	बलजिन्दर सिंह	10-02-2015	480000	332329
16	76009043882	बलजिन्दर सिह	10-02-2015	1000000	1041227
17	76007711934	सर्वजीत सिंह	31-10-2014	320000	428969
18	76007713249	सर्वजीत सिंह	31-10-2014	1500000	1893818
19	76007524343	भीम सैन	09-10-2014	408000	488346
20	76007527638	भीम सैन	10-10-2014	1496000	1798368
21	76008094883	करनैल सिंह	05-12-2014	279000	300336
22	76008096449	करनैल सिंह	05-12-2014	1500000	1555526
23	76007998347	कृष्ण कुमार	15-11-2014	252000	272897
24	76008000587	कृष्ण कुमार	15-11-2014	1500000	1522263
25	76007801147	कुलदीप सिह	10-11-2014	375000	390384
26	76007806112	कुलदीप सिंह	10-11-2014	1500000	1556987
27	76008001900	सरजीत सिंह	15-11-2014	258000	261602
28	76008000973	सरजीत सिंह	15-11-2014	1500000	1500000
29	76007998370	वेद प्रकाश	28-11-2014	252000	253517
30	76008000350	वेद प्रकाश	28-11-2014	1500000	1558387
31	76007359729	लक्ष्मीबाई	25-09-2014	348000	351515
32	76007360553	लक्ष्मीबाई	25-09-2014	980000	1014933
33	76007336825	मंजीत सिंह पुत्र जसवन्त सिंह	24-09-2014	379000	382130
34	76007338051	मंजीत सिंह पुत्र जसवन्त सिंह	24-09-2014	1170000	1184495
35	76007804342	करनैल सिंह	10-11-2014	270000	270649
36	76007803825	करनैल सिंह	08-11-2014	1275000	1322171
37	76007524354	अशोक कुमार	08-10-2014	360000	355348
38	76007527322	अशोक कुमार	08-10-2014	1496000	1511956
39	76007524988	रूलिया सिंह	09-10-2014	202000	231226
40	76007528075	रूलिया सिंह	10-10-2014	1496000	1918237

4. इस प्रकार राम अवतार सिंह दिनकर ने मैसर्स के.जी.एन. ट्रैक्टर्स एंड इक्विपमेंट्स, दोराहा, बाजपुर के प्रोपराइटर और कर्जदारों के साथ मिलीभगत करके बैंक को धोखा देने के इरादे से, तय नियमों का उल्लंघन करते हुए कर्जदारों को बेईमानी से ऋण स्वीकृत किये। स्वीकृत ऋण का प्रयोजन प्राप्त नहीं किया गया तथा अभियुक्तगण ने षडयन्त्रपूर्वक इस ऋण

की धनराशि को पुराने एनपीए ऋण खातों का निपटान किया गया तथा कोइ कृषि उपकरण नहीं खरीदे गये। इसके बावजूद ऋणियों द्वारा बेईमानीपूर्वक बैंक के ऋण को अदा नहीं किया गया तथा अभियुक्तगण के ऋण खाते एनपीए होकर यूजीबी को मु0 3,39,84,657/—रूपये का नुकसान हुआ।

5. अन्वेषण अधिकारी निरीक्षक शमा मारूफ पी.डब्ल्यू.—19 द्वारा घटना से सम्बन्धित साक्षियों के बयान अंतर्गत धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) लेखबद्ध कर इस प्रकरण से सम्बन्धित दस्तावेजी साक्ष्य संकलित किये गये और विवेचक ने अभियोग के लिये पर्याप्त मामला पाते हुए अभियुक्तगण राम अवतार सिंह दिनकर व अन्य के विरूद्ध धारा 120बी, 420 आईपीसी एवं धारा 13(2) सपठित धारा 13(1)डी पीसी एक्ट के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के लिये आरोप पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

अभियुक्तगण पर आरोप

6. न्यायालय द्वारा आरोप पत्र पर संज्ञान लेकर अभियुक्तगण उपरोक्त को न्यायालय तलब किया गया। अभियुक्तगण को मामले की आवश्यक नकलें प्रदान की गयी और उनको आरोपों पर सुना गया। अभियुक्त राम अवतार सिंह दिनकर के विरूद्ध के धारा 120बी सपठित धारा 420 आईपीसी तथा धारा 13(2) सपठित धारा 13(1)डी पीसी एक्ट के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के लिये आरोपित किया गया। जबकि शेष अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 120बी सपठित धारा 420 आईपीसी के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के लिये आरोपित किया गया। अभियुक्तगण को उक्त आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये गये किन्तु अभियुक्तगण ने आरोपों से इनकार कर विचारण का दावा किया।

अभियोजन पक्ष की मौखिक साक्ष्य

7. अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोपों के समर्थन में निम्नलिखित साक्षीगण की मौखिक साक्ष्य अंकित करायी गयी है—

Rank	Name	Nature of Evidence
पी0डब्लू0 1	सत्यपाल सिंह	शिकायतकर्ता
पी0डब्लू0 2	गिरीश चन्द्र डबराल	जांच अधिकारी
पी0डब्लू0 3	सतेन्द्र सिंह नेगी	वरिष्ठ प्रबन्धक यूजीबी मुख्यालय
पी0डब्लू0 4	दिग्विजय सिंह पांगती	मैनेजर ओरियन्टल इन्शोरेंस कम्पनी लिमिटेड

पी0डब्लू0 5	अनिल डोरा	सीनियर मैनेजर ,उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक
पी0डब्लू0 6	रमाकांत मैठानी	निरीक्षक ऑडिट ,उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक
पी0डब्लू0 7	रवि भारद्वाज	यूजीबी बैंक प्रबन्धक
पी0डब्लू0 8	योगेन्द्र पाल सिंह	यूजीबी बैंक प्रबन्धक
पी0डब्लू0 9	मुरली मनोहर नेगी	प्रशासनिक अधिकारी ओरियेण्टल इन्श्योरेंस कं0
पी0डब्लू0 10	प्रेम लाल आर्य	मुख्य प्रबंधक, एसबीआई एडीबी बाजपुर
पी0डब्लू0 11	नवीन्द्र सिंह बोरा	उपायुक्त राज्यकर खटीमा
पी0डब्लू0 12	राजेन्द्र प्रसाद	अधिकारी उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक, बाजपुर
पी0डब्लू0 13	प्रकाश चंद टम्टा	शाखा प्रबन्धक, उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक, बाजपुर
पी0डब्लू0 14	प्रकाशचंद बुघानी	प्रबन्धक ऋण यूजीबी क्षेत्रीय कार्यालय
पी0डब्लू0 15	आशीष मैठानी	सहायक प्रबन्धक, यूजीबी मुख्यालय
पी0डब्लू0 16	सोहन लाल गोयल	पैनल अधिवक्ता यूजीबी
पी0डब्लू0 17	संजय अग्रवाल	प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक
पी0डब्लू0 18	हेमचंद उपाध्याय	अधिकारी यूजीबी शाखा बाजपुर
पी0डब्लू0 19	श्रीमती शमा मारूफ	विवेचक
सी.डब्लू. 1	मुकेश मिश्रा	सहायक प्रबन्धक, उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक

8. अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रलेखीय साक्ष्य का विवरण निर्णय के अन्त में दिया गया है।

9. अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य को धारा 313 सीआरपीसी के अन्तर्गत अभियुक्तगण के समक्ष रखा गया तो अभियुक्तगण ने अभियोजन साक्ष्य को गलत बताया और सफाई साक्ष्य देने का कथन किया गया। अभियुक्त **ए–1** राम अवतार सिंह दिनकर ने कहा कि उसने नियमों के अनुरूप ऋणियों के प्रपत्रों की जांच करने के उपरान्त ही ऋण स्वीकृत किये गये थे, जिसमें कोई भी दस्तावेज कूटरचित या फर्जी नहीं था। उसने अपनी ऋण सीमा के अन्तर्गत ही ऋण वितरित किये गये थे। उसने ऋण देने में कोई अनियमितता नहीं की थी और कोई अपराध नहीं किया।

10. अन्य अभियुक्तगण **ए–3** मंजीत सिंह पुत्र बाजा सिंह, **ए–4** गजपाल सिंह, **ए–5** रमेश सिंह, **ए–6** प्रीतम सिंह, **ए–7** सर्वजीत सिंह, **ए–8** भीम सैन, **ए–9** कृष्ण कुमार, **ए–10** कुलदीप सिंह, **ए–11** सरजीत सिंह, **ए–13** मंजीत सिंह पुत्र जसवन्त सिंह तथा **ए–14** करनैल सिंह ने कहा कि उन्होंने बैंक ऋण के लिये भूमि के समस्त कागज बैंक में दाखिल किये थे और ऋण के लिये दो–दो गारेण्टर भी प्रस्तुत किये थे। विवेचना के दौरान उनका कोई दस्तावेज फर्जी नहीं पाया गया। ऋण से पहले वे बैंक शाखा प्रबन्धक या केजीएन ट्रैक्टर के मालिक को नहीं जानते थे तथा उनकी इन दोनों के साथ कोई दुरभिसन्धि नहीं थी। उन्होंने ऋण लेने से पहले व बाद में अन्य बैंकों का सारा बकाया वापस कर दिया था। लॉकडाउन लगने के कारण ये ऋण समय से वापस नहीं किये जा सकते थे। उनके द्वारा बैंक के साथ भूमि को बन्धक रखने की संविदा की गयी थी तथा उनकी भूमि की कीमत, ऋण की धनराशि से तब भी अधिक थी और आज भी अधिक है। उन्होंने कोई अपराध नहीं किया और वे निर्दोष हैं।

11. बचाव पक्ष की ओर से कोई दस्तावेजी अथवा मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है।

12. अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान वरिष्ठ लोक अभियोजक श्री अमरेंदर सिंह एवं विद्वान लोक अभियोजक श्री अभिषेक अरोड़ा, अभियुक्त राम अवतार सिंह दिनकर की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री गौरव त्रिपाठी, एडवोकेट, अभियुक्तगण मंजीत सिंह पुत्र बाजा सिंह, गजपाल सिंह, रमेश सिंह, प्रीतम सिंह, सर्वजीत सिंह, भीम सैन, कृष्ण कुमार, कुलदीप सिंह, सरजीत सिंह, मंजीत सिंह पुत्र जसवन्त सिंह एवं करनैल सिंह की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री राजेश चन्द्र शर्मा, एडवोकेट तथा श्री अमरजीत सिंह, एडवोकेट की बहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

<u>अभियोजन पक्ष की बहस</u>

13. अभियोजन पक्ष की ओर से कहा गया है कि अभियोजन साक्ष्य से यह साबित है कि राम अवतार सिंह दिनकर ने यू.जी.बी. शाखा बाजपुर के शाखा प्रबन्धक पद पर तैनात रहते हुए यूजीबी दिशा निर्देशों की अवहेलना कर षडयन्त्रपूर्वक मैसर्स केजीएन ट्रैक्टर्स एण्ड इक्विप्मेंट्स के मालिक मौहमद फुरकान व मौहमद इरशाद तथा अन्य सहअभियुक्तगण किसानों से दुरभिसंधि के तहत किसानों को एटीएल ऋण वितरित किये और इस ऋण के मार्जिन मनी के लिये इससे पूर्व केसीसी ऋण स्वीकृत कर इसका प्रयोग मार्जिन मनी के रूप में किया गया। एटीएल और केसीसी ऋणों के खातों से किसानों के बचत खातों में धनराशि अन्तरित की गयी जबकि ऐसा नहीं किया जा सकता था। एटीएल ऋण ऐसे व्यक्तियों को भी स्वीकृत

किये गये जिनके अन्य ऋण बकाया चल रहे थे तथा इस ऋण की धनराशि से ऋणियों के अन्य ऋण के खातों को सैटल कर बन्द किये गये। बैंक ने कृषि उपकरणों की खरीद हेतु प्रचलित दरों से अधिक मूल्य पर कोटेशनों एक ही फर्म केजीएन ट्रैक्टर्स एंड इक्विप्मेंट्स को कृषि उपकरणों की आपूर्ति हेतु ऋण की धनराशि सीधे अन्तरित की गयी किन्तु किसानों ने कोई कृषि उपकरण नहीं खरीदे न ही केजीएन ने किसानों को कृषि उपकरणों की आपूर्ति की। केजीएन ने ऋण लेने वाले किसानों को कृषि उपकरणों की आपूर्ति करने के बजाय चैकों अथवा नकद रूप से ऋणी सहअभियुक्तगण को धनराशि लौटा दी। अभियुक्त राम अवतार सिंह दिनकर द्वारा बैंक के समझौता ज्ञापन के विरूद्ध अन्य बीमा कम्पनी के माध्यम से ऋणी किसानों के कृषि उपकरणों का झूठा बीमा कराया गया। प्रश्नगत अवधि में केजीएन के व्यापार कर रिटर्न में कृषि उपकरणों का विक्रय करना नहीं पाया गया। राम अवतार सिंह दिनकर यूजीबी शाखा बाजपुर के प्रबन्धक थे और ऋण वितरण का कार्य बैंक के प्रचलित नियमों के अनुसार द्वितीय अधिकारी को दिया जाना था किन्तु उसने ऋण सम्बन्धी कार्य द्वितीय अधिकारी को न देकर स्वयं किया गया ताकि षडयन्त्र को अंजाम दिया जा सके।

14. यह भी कहा गया है कि अभियुक्त राम अवतार सिंह दिनकर ने प्रश्नगत ऋणों के लिये लोन दस्तावेजों में बेईमानीपूर्वक ऋण स्वीकृत करने के पूर्व तथा पश्चात् के स्थलीय निरीक्षण करना और सन्तोषजनक पाया जाना दिखाये गये थे जबकि बैंक के मूवमेंट रजिस्टर में इस तरह की कोई प्रविष्टि नहीं पायी गयी। प्रश्नगत ऋण स्वीकृत होने से पूर्व कतिपय ऋणियों के अन्य बैंकों के ऋण खाते गैर निष्पादित परिसम्पत्तियां (नॉन परफार्मिंग एसेट्स–एनपीए) चल रहे थे जिनको केसीसी और एटीएल ऋण की धनराशि से निपटान किये गये। जांच में ऋणी अभियुक्तगण के पास नये कृषि उपकरण नहीं पाये गये और जो भी उपकरण थे वे पुराने उपकरण थे। इस प्रकार केसीसी एवं एटीएल ऋणों का प्रयोग उस मकसद के लिए नहीं किया गया जिसके लिए मंजूरी की गयी थी। शाखा प्रबन्धक ने बेईमानीपूर्वक अभिलेखों में यह दिखाया गया कि किसानों के पास ऋण से खरीद किये कृषि उपकरण सही गुणवत्ता के पाये गये। केजीएन की अभिरक्षा से सीज रजिस्टर की जांच में यह भी पाया गया कि केजीएन द्वारा यूजीबी शाखा बाजपुर के प्रबन्धक को नकद रूप से कमीशन दिया गया। यह भी जांच में आया कि केजीएन ने कतिपय मामलों में कर्जदारों को न तो कृषि उपकरण उपलब्ध कराये और न ही बैंकर्स चैक से उसको दी गयी पूरी धनराशि वापस की। इस प्रकार अभियुक्तगण ने षडयन्त्रपूर्वक एटीएल ऋणों से कृषि उपकरण न खरीद कर सदोष लाभ प्राप्त किया और ऋण खाते एनपीए हो जाने के कारण बैंक को भारी नुकसान हुआ। अन्त में अभियुक्तगण को

दोषसिद्ध किये जाने की याचना की गयी है।

<u>बचाव पक्ष की बहस</u>

15. बचाव पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्तागण ने कहा है कि अभियुक्तगण ने बैंक में जो भी दस्तावेज प्रस्तुत किये वे सही दस्तावेज थे तथा कूटरचित दस्तावेज नहीं थे। अभियुक्तगण और बैंक के मध्य ऋण अनुबन्ध निष्पादित हुआ था तथा बैंक से जो भी धनराशि जारी/प्राप्त की गयी वह विधिपूर्ण एवं वैध थी। बैंक और ऋणी अभियुक्तगण के मध्य अनुबन्ध हुआ था ऐसे में ऋण से सम्बन्धित विवाद का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को है तथा ऋण के पुनर्भुगतान की चूक के लिये वसूली वाद लाया जा सकता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में जितने ऋणियों को नामजद किया गया है उनमें से कई ऋणियों के विरूद्ध आरोप पत्र प्रेषित नहीं किया गया है। जिन ऋणियों ने केजीएन से नकद पैंसा वापस लेना बताया है उनके विरूद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऋणी अभियुक्तगण ने केजीएन से पैंसा वापस लेकर उसके कृषि उपकरण खरीदे गये और ऋण का प्रयोजन प्राप्त किया गया क्योंकि केजीएन कृषि उपकरण उपलब्ध नहीं करा पाया था। अभियोजन ने कहा है कि शाखा प्रबन्धक राम अवतार सिंह दिनकर ने स्थलीय निरीक्षण कर सत्यापन नहीं किया, ऐसे में यह कैसे कहा जा सकता है कि ऋणियों ने कृषि उपकरण खरीदे गये थे अथवा नहीं। ऋणी अभियुक्तगण इस ऋण को प्राप्त करने से पहले शाखा प्रबन्धक राम अवतार सिंह दिनकर और केजीएन के मौहम्मद फुरकान को नहीं जानते थे, इस कारण आपराधिक षडयन्त्र का आरोप आधारहीन है। ऋणी अभियुक्तगण का बैंक को धोखा देने का कोई पूर्व आशय साबित नहीं है जिस कारण धोखाधड़ी का कोई अपराध नहीं बनता है। ऋणी अभियुक्तगण ने जो भी ऋण लिया था उसकी प्रविष्टि खाता खतौनियों में की गयी थी और उनके द्वारा ऋण का गलत प्रयोग नहीं किया गया।

16. यह भी कहा है कि झूठा शपथपत्र प्रस्तुत करने पर धारा 192 आईपीसी का अपराध आकृष्ट होता है और धारा 420 का कोई अपराध नहीं बनता है। उक्त के अलावा अभियुक्त राम अवतार सिंह दिनकर की ओर से यह तर्क किया गया है कि उसने बैंक के नियमानुसार किसानों को ऋण वितरित किया था तथा इसके लिये सम्पत्ति बंधक रखी थी एवं जमानतें भी लिये गये थे। पूर्व से बन्धक सम्पत्ति पर नया ऋण न दिये जाने का कोई नियम नहीं है। यह भी कहा है कि बैंक में फील्ड ऑफिसर कार्यरत नहीं था तथा कार्य अधिकता के कारण वह स्थलीय निरीक्षण नहीं कर पाया। यह भी तर्क है कि अभियुक्त राम अवतार सिंह दिनकर को सदोष लाभ प्राप्त करने की कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है तथा केजीएन के रजिस्टर में की गयी

प्रविष्टि साबित न होने के कारण विश्वसनीय नहीं है। यह भी कहा गया है कि ऋणी अभियुक्तगण के खातों का एनपीए हो जाना न तो आपराधिक षडयन्त्र का और न ही कदाचार का अपराध गठित करता है क्योंकि पूर्वाशय को साबित नहीं किया गया है। यह भी कहा है कि शाखा प्रबन्धक ने अपनी स्वीकृत सीमा से अधिक का ऋण स्वीकृत नहीं किया। बचाव पक्ष की ओर से उक्त तर्कों के समर्थन में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि सिद्धान्तों ***M/s. Mega Motors (Cvd) vs. M/s. Tata Motors Ltd. And Ors. 2020(4) RCR(Criminal) 91*** तथा ***Srichand Rajaram Kukreja and anr. vs. the State of Maharashtra and anr. 2025 INSC 794*** पर विश्वास व्यक्त किया गया है।

साक्ष्य का विश्लेषण

17. साक्षी पी0डब्लू0 1 श्री सत्यपाल सिंह ने अपने बयानों में यह कहा है कि वह वर्ष 2018 में महाप्रबंधक, उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक में कार्यरत थे। कागज संख्या 8ए/1–5 दिनांक 12.06.2018 को सीबीआई को दिया गया शिकायती पत्र है, जिस पर संयुक्त रूप से प्रदर्श क–1 अंकित किया गया। इस शिकायती पत्र में यह उल्लेख किया गया है कि तत्कालीन शाखा प्रबंधक राम अवतार सिंह दिनकर ने बैंक के दिशा–निर्देशों की अवहेलना की है और डीलर मैसर्स केजीएन ट्रैक्टर्स एण्ड इक्वीपमेंटस तथा ऋणियों के साथ मिलकर केसीसी तथा एटीएल लोन को गलत तरीके से स्वीकृत किया और बैंक को 3,39,84,657/–रूपये की सदोष हानि पहुंचायी गयी। अभियुक्त राम अवतार सिंह ने उन लोगों को भी ऋणी स्वीकृत किये जो लोन लेने के लिए पात्र नहीं थे। केसीसी हेतु दिये गये लोन को एटीएल लोन के मार्जिन मनी के रूप में उपयोग किया गया एवं उपकरणों के बिल आदि फर्जी बनाये गये। शाखा प्रबंधक द्वारा लोन देने के बाद यह सुनिश्चित नहीं किया कि जिस प्रयोजन के लिए लोन दिये गये हैं उसको उसी प्रयोजन हेतु खर्च किया या नहीं। प्रतिपरीक्षा में कहा है कि वह कभी भी शाखा बाजपुर में नहीं गया और वह ऋणियों के घर भी नहीं गया। वह बैंक की आन्तरिक जांच करने वाले अधिकारियों के नाम नहीं बता सकता है किन्तु उसने जांच रिपोर्ट के आधार पर रिपोर्ट की थी। साक्षी पी0डब्लू0 17 संजय अग्रवाल यूजीबी अध्यक्ष ने अभियुक्त राम अवतार सिंह दिनकर के विरूद्ध अभियोग चलाने की अनुमति प्रदर्श क–102 निर्गत की है। प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कहा है कि ऋण स्वीकृत करने के लिये शाखा प्रबन्धक सक्षम प्राधिकारी होता है तथा बैंक में आन्तरिक ऑडिट सालाना या 18 माह पर होते रहते हैं।

मामले के तथ्य

18. अभियोजन साक्षी **पी0डब्लू0 7 रवि भारद्वाज**, वरिष्ठ प्रबंधक उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक ने अपने बयानों में यह कथन किया है कि फाइल 24ए/1 लगायत 24ए/73 मंजीत सिंह पुत्र श्री बाजा सिंह केसीसी ऋण, फाईल कागज संख्या 25ए/1 लगायत 25ए/98 श्रीमती संतोबाई केसीसी ऋण, फाईल कागज संख्या 27ए/1 लगायत 27ए/70 गजपाल सिंह केसीसी ऋण, फाइल कागज संख्या 28ए/1 लगायत 28ए/86 गजपाल सिंह एटीएल ऋण, फाईल कागज संख्या 29ए/1 लगायत 29ए/78 सेवा सिंह केसीसी ऋण, फाईल कागज संख्या 30ए/1 लगायत 30ए/88 सेवा सिंह एटीएल ऋण, फाईल कागज संख्या 31ए/1 लगायत 31ए/115 रमेश सिंह केसीसी ऋण, फाईल कागज संख्या 32ए/1 लगायत 32ए/125 रमेश सिंह एटीएल ऋण, फाईल कागज संख्या 35ए/1 लगायत 35ए/72 प्रीतम सिंह केसीसी ऋण, फाईल कागज संख्या 36ए/1 लगायत 36ए/109 प्रीतम सिंह एटीएल ऋण, फाईल कागज संख्या 37ए/1 लगायत 37ए/78 बलजिंदर सिंह केसीसी ऋण, फाईल कागज संख्या 38ए/1 लगायत 38ए/96 बलजिंदर सिंह एटीएल ऋण, फाईल कागज संख्या 39ए/1 लगायत 39ए/72, प्रदर्श क–20 श्रीमती दलवीर कौर, सरबजीत सिंह एवं अंग्रेज सिंह केसीसी ऋण, फाईल कागज संख्या 40ए/1 लगायत 40ए/84श्रीमती दलवीर कौर, सरबजीत सिंह एवं अंग्रेज सिंह के एटीएल ऋण, फाईल कागज संख्या 41ए/1 लगायत 41ए/62 भीमसेन केसीसी ऋण, फाईल कागज संख्या 42ए/1 लगायत 42ए/76 भीमसेन एटीएल ऋण, फाईल कागज संख्या 43ए/1 लगायत 43ए/70 करनैल सिंह केसीसी ऋण, फाईल कागज संख्या 44ए/1 लगायत 44ए/25 करनैल सिंह एटीएल ऋण, फाईल कागज संख्या 45ए/1 लगायत 45ए/65 कृष्ण कुमार केसीसी ऋण, फाईल कागज संख्या 46ए/1 लगायत 46ए/84 कृष्ण कुमार एटीएल ऋण, फाईल कागज संख्या 47ए/1 लगायत 47ए/61 कुलदीप सिंह केसीसी ऋण, फाईल कागज संख्या 48ए/1 लगायत 48ए/80 कुलदीप सिंह एटीएल ऋण, फाईल कागज संख्या 49ए/1 लगायत 49ए/81 सरजीत सिंह केसीसी ऋण, फाईल कागज संख्या 50ए/1 लगायत 50ए/106 सरजीत सिंह एटीएल ऋण, फाईल कागज संख्या 51ए/1 लगायत 51ए/65 वेद प्रकाश केसीसी ऋण, फाईल कागज संख्या 52ए/1 लगायत 52ए/80 वेद प्रकाश एटीएल ऋण, फाईल कागज संख्या 53ए/1 लगायत 53ए/68 श्रीमती लक्ष्मी बाई एवं मंगत सिंह केसीसी ऋण, फाईल कागज संख्या 54ए/1 लगायत 54ए/90 श्रीमती लक्ष्मी बाई एवं मंगत सिंह एटीएल ऋण, फाईल कागज संख्या 55ए/1 लगायत 55ए/113 मंजीत सिंह पुत्र जसवंत सिंह केसीसी ऋण, फाईल कागज संख्या 56ए/1 लगायत 56ए/132 मंजीत सिंह पुत्र जसवंत सिंह एटीएल ऋण, फाईल कागज संख्या 57ए/1 लगायत

57ए/63 करनैल सिंह केसीसी ऋण, फाईल कागज संख्या 58ए/1 लगायत 58ए/88 करनैल सिंह एटीएल ऋण, फाईल कागज संख्या 59ए/1 लगायत 59ए/71 अशोक कुमार केसीसी ऋण, फाईल कागज संख्या 60ए/1 लगायत 60ए/92, प्रदर्श क–41 अशोक कुमार एटीएल ऋण, फाईल कागज संख्या 61ए/1 लगायत 61ए/59 रूलिया सिंह केसीसी ऋण तथा फाईल कागज संख्या 62ए/1 लगायत 62ए/79 रूलिया सिंह एटीएल ऋण सभी फाईलों पर राम अवतार सिंह दिनकर के हस्ताक्षर, हस्तलेख व बैंक की मोहर तसदीक की है। प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कहा है कि उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि इस मामले में विभागीय जांच हुई थी। बैंक में कार्य करने के दौरान इस मामले से सम्बन्धित ऋण की कोई फाईल उसके सामने नहीं आयी। बैंक शाखा का आन्तरिक ऑडिट कभी वर्ष में कभी डेढ़ वर्ष में होता है। यह भी कहा है कि इन सभी ऋणों में बैंक और ऋणियों के मध्य संविदा हुई थी।

19. साक्षी **पी0डब्लू0 8 योगेन्द्र पाल** ने कहा है कि वह वर्ष 2017 से अगस्त 2020 तक उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक के बाजपुर शाखा में प्रबधंक के पद पर कार्यरत रहा था। साक्षी ने कागज सं0 64ए/1 लगायत 64ए/144 देखकर बताया कि यह उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक बाजपुर शाखा के ऋणियों व मैसर्स केजीएन ट्रैक्टर्स एण्ड इक्वीपमेंटस दोरहा बाजपुर के खातों का स्टेटमेंट ऑफ एकाउंट है, जो उसके द्वारा प्रमाणित किये गये हैं। साक्षी ने कहा कि कागज संख्या 64ए/1 लगायत 64ए/115 ऋणी मंजीत सिंह पुत्र श्री बाजा सिंह, संतो बाई, गजपाल सिंह, सेवा सिंह, रमेश सिंह, जागीर सिंह, प्रीतम सिंह, बलजिन्दर सिंह, सर्वजीत सिंह, भीमसेन, करनैल सिंह, कृष्ण कुमार, कुलदीप सिंह, सरजीत सिंह, वेद प्रकाश, मंजीत सिंह पुत्र जसवंत सिंह, करनैल सिंह पुत्र तेजा सिंह, अशोक कुमार, रूलिया सिंह के बचत खाता व टर्म लोन से संबंधित स्टेटमेंट ऑफ एकाउंट्स हैं। इस खाता विवरणी में प्रोडक्ट के सामने जो प्रोटेस्टेड लिखा है उसका मतलब यह है कि उस खाते की पैमेंट किस्तें नहीं आयी हैं। कागज संख्या 64ए/116–144 देखकर साक्षी ने कहा कि यह मैसर्स केजीएन ट्रैक्टर्स एण्ड इक्वीपमेंटस के चालू खाता संख्या 4444564895 का स्टेटमेंट आफ एकाउंट है। बैंक रिकार्ड के अनुसार उपरोक्त खाते का संचालन प्रोपराइटर मोहम्मद फुरकान द्वारा किया जाता था व इससे ऋणी किसानों को चैक जारी किये गये थे। कागज संख्या 64ए/132 स्टेटमेंट के अनुसार चैक संख्या 120518 द्वारा बैंक के ऋणी किसान प्रीतम सिंह के खाते में 4,50,000/–रूपये जारी किया गया जो केसीसी खाते में जमा किये थे। दिनांक 03.11.2014 को चैक संख्या 120512 के जरिये सर्वजीत सिंह को रूपये 6,30,000 जारी किया गया था, जो उसने अपने बचत खाता संख्या 76007613109 खाते में जमा किये थे। कागज संख्या 64ए/33

के अनुसार चैक संख्या 120522 कुलदीप सिंह के खाते में रूपये 7,53,662 जारी किया गया था, जो उसने अपने बचत खाता संख्या 4444552469 खाते में जमा किये थे। कागज संख्या 64ए/135 में दिनांक 09.12.2024 को चैक संख्या 120566 में रूपये 2,50,000 वेद प्रकाश के नाम से नगद भुगतान हुआ था। कागज संख्या 64ए/127 के अनुसार चैक संख्या 000445 रूपये 1,75,000 दिनांक 25.09.2014 मंजीत सिंह पुत्र जसवंत सिंह के खाते में बचत खाता संख्या 76007330313 में जमा हुआ था। कागज संख्या 64ए/133 के अनुसार चैक संख्या 120524 दिनांक 13.11.2014 रूपये 4,20,000 करनैल सिंह के खाते में जारी किया गया था, जो उसने अपने बचत खाता संख्या 76007679670 खाते में जमा किये थे। प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कहा है कि इस मामले के सभी ऋण उसके कार्यकाल के पूर्व के थे।

20. अभियोजन साक्षी **पी0डब्लू0 12 राजेन्द्र प्रसाद** ने कहा है कि वह अगस्त 2018 में बतौर द्वितीय अधिकारी उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक में लोन से सम्बन्धित कार्य एवं दस्तावेज देखता था। कागज संख्या 22ए/1–3 तथा कागज संख्या 63ए सीजर मैमो से उसने अभियुक्तगण के बचत खाता, कृषि नगदी ऋण एवं कृषि सावधि ऋण खातो के स्टेटमेंट ऑफ एकाउंट को बैंक के रिकार्ड से मिलान कर बैंकर्स बुक ऑफ एविडेंस एक्ट के प्रमाण पत्र के साथ सीबीआई को दिये थे। साक्षी ने कहा है कि बैंक के रिकार्ड के अनुसार अभियुक्तगण द्वारा ऋण लिया गया था। बैंक पैनल अधिवक्ता श्री सोहन लाल गोयल के द्वारा अपनी आख्या में यह सम्पत्ति पूर्व से बैंक ऑफ बड़ौदा बाजपुर में तीन ऋणों में बंधक रखने की रिपोर्ट थी। अभियुक्तगण द्वारा अपने कृषि यंत्रों का बीमा ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी से कराये जाने का आग्रह किया गया था और फसल का फसली बीमा नहीं कराने बाबत भी प्रार्थनापत्र दिया गया था। प्रतिपरीक्षा में यह कहा है कि अभियुक्तगण ने जो भी जमीन के कागजात ऋणों के लिये प्रस्तुत किये थे वे सही थे। ऋण के लिये किसानों द्वारा दिया गया कोई भी दस्तावेज फर्जी नहीं था। यह भी कहा है कि ऋण एनपीए हो जाने पर ऋणी की सम्पत्ति से अथवा गारेन्टर की सम्पत्ति से बैंक अपने ऋण की वसूली कर सकता है।

21. यूजीबी शाखा बाजपुर के तत्कालीन द्वितीय अधिकारी साक्षी **पी0डब्लू0 18 हेम चन्द्र उपाध्याय** ने कहा है कि राम अवतार सिंह दिनकर ने उसको लेखा संबंधी कार्यों को सौंप दिया था और ऋण का कार्य वह स्वयं संभालते थे। अभियुक्त राम अवतार सिंह दिनकर ने कहा था कि ऋण संबंधी कार्य से उसका कोई वास्ता–मतलब न रहे इसलिये ऋण वितरण संबंधी कार्य में उसकी कोई भूमिका नहीं थी। सुशील कुमार अग्रवाल उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक के प्रधान कार्यालय में जांच विभाग में तैनात थे, उन्होंने बाजपुर शाखा में अभियुक्त राम अवतार सिंह

दिनकर के द्वारा वितरित ऋणों की जांच की गयी थी। इस जांच में गांव में जाकर कुछ ऋण लाभार्थियों के द्वारा ऋण के सापेक्ष क्रय किये जाने वाले ट्रैक्टर, ट्रॉली तथा अन्य कृषि उपकरणों की भौतिक जांच की। समस्त ऋणों में केजीएन ट्रैक्टर एण्ड इक्वीपमेंन्ट के कोटेशन लगे हुए थे, जबकि नियमानुसार न्यूनतम तीन फर्मों की कोटेशन होने चाहिए थे। साक्षी ने राम अवतार सिंह दिनकर को बताया था कि अन्य बैंक शाखाओं के द्वारा केजीएन ट्रैक्टर एण्ड इक्वीपमेंन्ट की कोटेशनों पर विचार नहीं किया जा रहा है और इस प्रकार वह एक ब्लैक लिस्टेड फर्म की तरह है। केजीएन ट्रैक्टर एण्ड इक्वीपमेंन्ट वाले अपनी गाड़ियों में ऋण आवेदकों को भरकर लाते थे और इस प्रकार ऋण आवेदक केजीएन ट्रैक्टर एण्ड इक्वीपमेंन्ट के द्वारा प्रायोजित होते थे। यह भी कहा है कि जब वह सुबह बैंक शाखा आता था तो केजीएन ट्रैक्टर एण्ड इक्वीपमेंन्ट के डीलर को शाखा प्रबंधक के चैम्बर में बैठा पाता था तथा वह शाम तक वहीं बैठा रहता था। इससे बैंक शाखा की साख प्रभावित हो रही थी, जो साक्षी को अच्छा नहीं लगता था। इस मामले में आप राम अवतार सिंह दिनकर के द्वारा किसानों को उनकी आर्थिक स्थिति तथा जमीन का क्षेत्रफल, मूल्य न देखते हुए हैसियत से अधिक ऋण वितरित किया गया था। बैंक का यह मानक नियम था कि यदि किसी ऋण आवेदक की भूमि पूर्व से लिये गये ऋण के सापेक्ष बंधक है तो ऐसी दशा में ऋण आवेदक को नया ऋण नही दिया जा सकता था। इस साक्षी ने ऋण लेने वाले अभियुक्तगण के केसीसी व एटीएल फाईलों पर शाखा प्रबन्धक राम अवतार सिंह दिनकर के हस्ताक्षर, हस्तलेख एवं पद मोहर की पहचान की है। साक्षी ने आगे कहा है कि कतिपय ऋण आवेदन पत्रों पर केवल आवेदकों के हस्ताक्षर पाये गये थे। प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कहा है कि वह जांच समिति का सदस्य नहीं था किन्तु वह सुशील कुमार अग्रवाल के कहने पर जांच में उनके साथ गया था। जांच में कुछ किसानों के घर पर ट्रैक्टर, ट्राली व कृषि उपकरण मिले थे किन्तु कुछ किसानों के पास कोई कृषि उपकरण नहीं मिले थे। जो ट्रैक्टर, ट्राली आदि मिले थे उनमें से कुछ नये दिख रहे थे कुछ पुराने थे कुछ पर मिट्टी भी लगी हुई थी। जांच टीम पहले गांव में सांय 4:30—5:00 बजे गयी थी।

<u>बैंक की आन्तरिक जांच</u>

29. अभियोजन के साक्षी **पी0डब्लू0 2 श्री गिरीश चन्द्र डबराल** ने अपने बयानों में यह कहा है कि साक्षी दिनांक 09.10.2017 से उत्तराखंड ग्रामीण बैंक रीजनल आफिस में तैनात था। साक्षी दिनांक 17.07.2018 को भी रीजनल ऑफिस में मैनेजर के पद पर तैनात था। कागज संख्या 69ए/1 पत्र दिनांक 13.07.2018 के साथ सलंग्न जांच रिपोर्ट कागज संख्या 69ए/2

लगायत 69ए/94 फोटोप्रति है, जिसकी मूल सी0बी0आई0 वाद सं0 4/2018 सी0बी0आई0 बनाम राम अवतार सिंह दिनकर आदि की पत्रावली में कागज संख्या 17ए/1 लगायत 17ए/93 के रूप में उपलब्ध है। कागज सं0 69ए/1 पत्र विजिलेंस आफिसर श्री एस0सी0 गैरोला द्वारा तैयार करके सी0बी0आई0 इन्सपेक्टर श्रीमती शमा मारूफ को जांच रिपोर्ट के साथ दिया था। गवाह ने इस पत्र पर एस0सी0 गैरोला के हस्ताक्षरो की पहचान की जिसे मार्क ए से चिंहित किया गया। कागज संख्या 69ए/1 पर प्रदर्श क–2 अंकित किया गया। इस पत्र के साथ सलंग्न जांच रिपोर्ट को साक्षी के साथ श्री आर0 के0 मैठाणी, श्री अनिल डोरा के द्वारा अपनी जांच के उपरान्त जो दिनांक 07.12.2016 से 23.12.2016 के मध्य की गई थी, तैयार किया गया था तथा अपने हैड आफिस मे सबमिट किया था। जांच रिपोर्ट में उन सभी तथ्यो का लिखित उल्लेख है, जो अनियमितताएं ऋणों में पाई गई थी। सन 2014–15 के दौरान आप अभियुक्त श्री आर0ए0एस0 दिनकर, उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की बाजपुर ब्रांज के बैंक मैनेजर थे और आपने अपनी शक्तियों का दुरूपयोग करके ऋण स्वीकृत किए थे। ऋण से संबंधित जो प्री सैंक्शन व पोस्ट सैंक्शन होते थे, उन्हें फिल्ड आफिसर को करना चाहिए, लेकिन आप अभियुक्त आर0ए0एस0 दिनकर स्वयं ही करते थे। इन मामलो में मुख्य बात यह थी कि के0सी0सी0 व ए0टी0एल0 में मार्जिन मनी ली जाती थी, जो कि शाखा प्रबन्धक आप अभियुक्त द्वारा ऋणी से न लेकर उनके के0सी0सी0 खाते की रकम को मार्जिन मनी के रूप मे प्रयोग किया गया। जिन ऋणियों द्वारा मार्जिन मनी जमा नहीं की गई, उनको के0सी0सी0 का ऋण दिया गया व के0सी0सी0 और सम्पूर्ण धनराशि का ड्राफट डीलर को दे दिया गया, इस तरह के0सी0सी0 की धनराशि का दुरूपयोग किया गया। ए0टी0एल0 के ऋणों मे कृषि उपकरण व ट्रैक्टर के लिए ऋण दिए गए, जांच पर अधिकतर ऋणियों के पास बैंक ऋण से क्रय किए गए कृषि उपकरण व टै्क्टर नहीं पाए गए। सभी कोटेशन एक ही डीलर मै0 के0जी0एन0 ट्रैक्टर्स, दोराहा बाजपुर से प्राप्त किए गए थे, जिनकी दरें स्थानीय दरों के मुकाबले बहुत अधिक थी और सभी दरे round figure में थी। कई कृषको को डीलर द्वारा चैक के माध्यम से ऋण वितरण के पश्चात राशि वापस की गई है। कई कृषको के पास के0सी0सी0 के लिए आवश्यक भूमि उपलब्ध न होने पर दूसरे लोगो से भूमि को कांट्रैक्ट पर लिया जाना दिखाया गया, जिसके लिए किसी भी प्रकार का एग्रीमेंट नहीं किया गया था। अधिकांश खातों में ऋण वितरण के बाद अन्य बैंको से अनापत्ति प्रमाण प्राप्त किए गए, जबकि अनापत्ति प्रमाण पत्र लोन वितरण से पहले प्राप्त किया जाना चाहिए था। कई खातों में बैंक के लोन से अन्य बैंको के लोन अदा किए गए थे। बैंक द्वारा दिए गए सभी

ऋणों में कृषि उपकरणों का बीमा कराया जाना आवश्यक होता है,जबकि प्रस्तुत मामले में आप अभियुक्त शाखा प्रबन्धक द्वारा ऋणियों से इस आशय का पत्र लिया गया कि वह बीमा नहीं कराना चाहते हैं। बैंक द्वारा दिए गए ऋणों मे एक ही व्यक्ति को कई ऋणों मे गारंटर बनाया गया है। जांच आख्या में सभी अनियमितताओं का विस्तारपूर्ण वर्णन किया गया है। जांच आख्या पर प्रदर्श क–3 अंकित किया गया।

30. जांच अधिकारी शाखा प्रबन्धक यूजीबी **पी0डब्लू0 5 अनिल डोरा** तथा यूजीबी के निरीक्षक ऑडिट **पी0डब्लू0 6 रमाकांत मैठानी** ने कहा है कि प्रधान कार्यालय से शाखा बाजपुर के एनपीए खातों की जांच का निर्देश प्राप्त होने पर उन्होंने वहां जाकर कई खातों की जांच की और कुछ ऋणियों से मुलाकात भी की। इस जांच में श्री जी0 सी0 डबराल एवं श्री पी0 सी0 टम्टा भी उनके साथ शामिल थे। जांच में पाया कि कुछ ऋणियों को उनके द्वारा लिये गये ऋण के बारे में, ऋण की राशि के बारे में जानकारी ही नहीं थी। उस समय शाखा प्रबंधक को फसल ऋण के अंतर्गत 10 लाख रूपये के किसान क्रेडिट कार्ड एवं रूपये 15 लाख की कृषि सावधि ऋण (ATL) की पावर दी गयी थी। बैंक के नियमानुसार ऋण स्वीकृति पूर्व सर्वे (Pre-Sanction Survey) करने का दायित्व फील्ड आफिसर का था एवं उसकी संस्तुति के आधार पर शाखा प्रबंधक उस ऋण को स्वीकृत करते थे। इस मामले में फील्ड आफिसर द्वारा Pre-Sanction Survey करना नहीं पाया गया। ऋण को स्वीकृत/वितरित करने के बाद Post Sanction Survey भी फील्ड आफिसर ही करता था। प्रस्तुत मामले में फील्ड आफिसर द्वारा Post-Sanction Survey करना भी नहीं पाया गया और शाखा प्रबंधक द्वारा ही Post-Sanction Survey करना पाया गया था। जांच में शाखा द्वारा मेनटेन किया गया Movement Register में Post-Sanction Survey हेतु जाने की कोई एन्ट्री नहीं पायी गयी थी। बैंक के नियमानुसार जिस तिथि पर ऋणी एवं बैंक के बीच ऋण एग्रीमेंट निष्पादित होता है, उसी तिथि में ऋण का खाता खुलना आवश्यक है किन्तु जांच में पाया गया था कि ऋण के कुछ खातों में एग्रीमेंट की तिथि व ऋण के खाते खोलने की तिथियां अलग–अलग थी। जांच में यह भी पाया गया था कि फसली ऋण में जो भूमि बैंक के पास बंधक रखी गयी थी उसका बाजारी मूल्य ऋण की रकम से कम थी या कुछ मामलों में भूमि नदी में समा जाने के कारण उस जमीन का कोई मूल्य ही नहीं था। बैंक के नियमानुसार कृषि सावधि ऋण में ऋणी को भी ऋण प्रस्ताव में अपनी

मार्जिन मनी लगानी होती है किन्तु इस मामले में पाया गया कि कई ऋणों के खातों में ऋणी ने अपनी मार्जिन मनी नहीं लगायी थी, बल्कि उसको पहले किसान क्रेडिट कार्ड ऋण दिया गया और उस धनराशि को ऋणी द्वारा मार्जिन मनी के रूप में कृषि सावधि ऋण लेने के लिये प्रयोग किया गया, जो बैंक के नियमों के विरूद्ध था। जांच मे यह भी पाया गया था कि कुछ ऋणियों द्वारा अन्य बैंको के ऋण शाखा से ऋण लेने वाले दिन ही बंद कराए गए थे, जिससे यह दर्शित हो रहा था कि प्रश्नगत ऋण से दूसरे बैंकों के ऋण को सेटल कर No dues certificate प्राप्त किया गया। जांच में यह पाया गया था कि ऋणियों की भुगतान क्षमता का सही आंकलन किए बिना ही ऋण स्वीकृत किए गए। अधिकांश ऋणियों की आर्थिक स्थिति ऋण चुकाने योग्य नहीं थी। जहां पर ऋणी के पास अपनी जमीन कम है वह अन्य किसी व्यक्ति की कृषि भूमि को पट्टे पर या किराये पर लेकर उसकी जमीन पर भी कृषि कार्य हेतु ऋण ले सकता है परन्तु ऐसे ऋणी जमीन पट्टे पर लेने का करार 100/– रूपये के स्टाम्प पेपर पर निष्पादित करता है, जो इस मामले में नहीं था। जांच मे यह पाया गया था कि ऋणी एवं गारंटर्स की हैसियत को बढ़ाकर दर्शाया गया है। यह पाया गया था कि ऋणी कई अन्य ऋणों में गारंटर है किन्तु उसकी हैसियत रिपोर्ट में अन्य ऋणों मे दी गई गारंटी को उसकी हैसियत से घटाकर नहीं दर्शाया गया था। जांच मे यह भी पाया गया कि ऋणियों ने पूर्व मे लिये गये ऋणों में भूमि बंधक रखी थी किन्तु ऋणी द्वारा शपथपत्र में लिखा था कि उनकी भूमि बंधक मुक्त है।

31. साक्षीगण ने आगे कहा है कि जांच में यह भी पाया गया था कि शाखा में कई ऋण के दस्तावेजों पर ऋणियों से खाली ऋण आवेदनों व अन्य दस्तावेजों पर साइन कराकर दस्तावेज रखे गए थे, जिससे यह प्रतीत हो रहा था कि ऋणियों को उनके द्वारा लिए गए ऋण की राशि एवं उददेश्य के बारे मे कोई जानकारी नहीं थी। डीलर मै0 के0जी0एन0 ट्रैक्टर्स एंड इक्वीपमेंट ने कृषि उपकरणों की कोटेशन व बिलों में धनराशि प्रचलित दरों से अधिक मूल्य दर्शाया गया था। जांच करने के उपरान्त एक रिपोर्ट तैयार कर तत्कालीन महाप्रबन्धक, उत्तराखंड ग्रामीण बैंक को प्रेषित की गयी थी। इस रिपोर्ट कागज सं0 69ए/2 लगायत 69ए/327 प्रदर्श क–5 को पत्र कागज सं0 69ए/1 द्वारा उत्तराखंड ग्रामीण बैंक के चीफ विजिलेंस आफिसर ने सी0बी0आई0 निरीक्षक को प्रेषित किया था। प्रतिपरीक्षा में साक्षीगण ने कहा है कि बैंक के किसी सर्कुलर में फील्ड ऑफिसर के द्वारा ही प्री एवं पोस्ट सैंक्शन सर्वे करने का निर्देश नहीं है। जमीन की फर्द में यह नहीं लिखा होता है कि जमीन नदी में समा गयी है। ऋणियों द्वारा स्वयं बताया गया था कि उनके कृषि उपकरण इस ऋण से पूर्व के

खरीद किये हुए थे तथा उन्होंने इस ऋण से कोई कृषि उपकरण नहीं खरीदे बल्कि डीलर ने उनको पैंसे लौटा दिये गये थे। ऋणियों को दी गयी प्रश्नावली में उनके द्वारा ये उत्तर लिखे गये हैं जो पत्रावली में है। बैंक के नियमानुसार केसीसी ऋण की धनराशि बचत खाते में अन्तरित नहीं की जा सकती है। जांच में भूमि की कीमत निकालने के लिये सर्किल रेट नहीं देखे थे। ऋणियों ने जो भी जमीन के दस्तावेज दिये थे वे सही थे।

32. बैंक की आन्तरिक जांच के दौरान उत्तराखंड ग्रामीण बैंक शाखा बाजपुर में कार्यरत शाखा प्रबंधक **पी0डब्लू0 13 प्रकाश चन्द्र टम्टा** ने कागज संख्या 69ए/1 पत्र दिनांक 13.07.2018 के साथ सलंग्न जांच रिपोर्ट कागज संख्या 69ए/2 लगायत 69ए/94 फोटो प्रति को देखकर बताया कि इस जांच रिपोर्ट को उसके साथ श्री आर0 के0 मैठाणी, श्री अनिल डोरा व श्री गिरीश चन्द्र डबराल ने एनपीए ऋण खातों की जांच दिनांक 07.12.2016 से 23.12.2016 के उपरान्त तैयार की गई थी और महाप्रबंधक उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक के हैड आफिस को प्रेषित की गयी थी। इस साक्षी ने जांच टीम के कथनों को ही अपनी परीक्षा में दोहराया है। प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कहा है कि उसने राम अवतार सिंह दिनकर के साथ कभी काम नहीं किया किन्तु उनसे वर्ष 2015 में बाजपुर शाखा में कार्यभार लिया था। फील्ड आफिसर हरीश चन्द उपाध्याय ने बैंक को कभी शिकायत नहीं की थी कि राम अवतार सिंह दिनकर द्वारा उन्हें प्री एवं पोस्ट सैंक्शन सर्वे नहीं करने दिया जाता। उनकी जांच में ऐसा कोई दस्तावेज नहीं मिला जिसमें यह पाया गया हो कि ऋण प्राप्त करने के लिये कूटरचित किया गया हो। यह भी कहा है कि यदि आवश्यक दस्तावेजों के आधार पर ऋण दिया गया है और वह ऋण खाता एनपीए हो जाता है तो इसके लिये बैंक मैनेजर उत्तरदायी नहीं होता है।

33. साक्षी **सी0डब्लू0 1 मुकुल मिश्रा** ने बताया है कि वह जुलाई 2017 में उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक प्रधान कार्यालय में बतौर सहायक प्रबंधक के पद पर कार्यरत था। इस दौरान उसने इस मामले में सीबीआई के अधिकारी को बैंक के सर्तकता विभाग से संबंधित दस्तावेज दिये थे। साक्षी ने जो दस्तावेज सीबीआई को दिये थे उनका सीजर मीमो बनाया गया था। जिसमें लगभग 23—24 ऋण (केसीसी व एटीएल) फाइलें थी। उपरोक्त सभी फाइले ब्लैंक थी उनमें केवल ऋणियों व गारंटरों के हस्ताक्षर/अंगूठा निशान थे और फोटों भी चस्पा थी। इसके अतिरिक्त तीन जांच रिर्पोटें व अन्य दस्तावेज थे। नियमानुसार ब्लैंक दस्तावेजों पर ऋणी या गारंटर के हस्ताक्षर नहीं कराये जा सकते। संबंधित अधिकारी जब ऋणी द्वारा ऋण हेतु प्रार्थना पत्र भर कर दिया जाता है, उसके बाद वैरिफिकेशन की जाती है और उसके बाद संबंधित गारंटरों की केवाईसी आदि दस्तावेज लिये जाते है और उनके हस्ताक्षर लिये जाते है।

दस्तावेज पूर्ण रूप से भरने के बाद ही ऋणी व गारंटर के हस्ताक्षर कराये जाते है किन्तु खाली ऋण दस्तावेजों पर हस्ताक्षर नियम विरूद्ध है। कागज संख्या 642ए/2 लगायत 642ए/9 पत्र दिनांक 06.12.2016, दिनांक 07.12.2016 व दिनांक 13.12.2016 के माध्यम से उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक के तत्कालीन महाप्रबंधक प्रधान कार्यालय देहरादून द्वारा श्री जी0सी0 डबराल, श्री पी0सी0 टम्टा, श्री रमाकांत मैठानी व श्री अनिल डोरा को बाजपुर शाखा में हुए ऋण घोटाले में जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था। उस समय उक्त तिथियों पर महाप्रबंधक श्री पूरन चंद जी कार्यरत थे।

<u>कृषि उपकरणों की खरीद–बिक्री के बारे में</u>

34. उपायुक्त, व्यापार कर गदरपुर, रूद्रपुर **पी0डब्लू0 11 नवीन्द्र सिंह बोरा** ने अपने बयानो में यह कहा है कि साक्षी वर्ष 2017 में उपायुक्त गदरपुर रूद्रपुर कार्यालय में कार्यरत था। कागज संख्या 73ए/1 लगायत 73ए/5 से कागज संख्या 73ए/1 पत्र दिनांक 28.11.2018 उसके द्वारा पुलिस निरीक्षक सीबीआई को लिखा गया है। इस पत्र में वर्ष 2014–2015 में कृषि उपकरण एवं मशीनरी पर वैट लागू होता था व विभागीय वैबसाईट पर अलग दरें उपलब्ध थी। वर्ष 2014–15 में व्यापारी केजीएन ट्रैक्टर्स एण्ड इक्विप्मेंट्स द्वारा कुल 18,41,625 रूपये की कर देयता स्वीकार की गयी थी, जिसे खरीद के विरूद्व क्लेम आईटीसी 19,60,567 रूपये में समायोजित किया गया था एवं 1,18,942 रूपये अग्रिम वर्षों के लिये अग्रसर किया गया था। पृथक से कोई कर जमा नही किया गया था। कागज संख्या 73ए/2 लगायत 73ए/5 व्यापारी मैसर्स केजीएन टैक्टर्स एण्ड इक्वीपमेंटस की वार्षिक विवरणी की प्रति है जिसमें यापारी द्वारा केवल टैक्सेबल सेल रूपये 3,68,32,500 दर्शायी गयी है। इसके अतिरिक्त वैट कॉम्प्यूटेशन फार्म व्यापारी द्वारा दिनांक 01.04.2014 से 31.03.2015 तक की अवधि में खरीद व बिक्री का विवरण दिया गया है, जिसमें कोई नोन टैक्सेबेल उपकरण की बिक्री का विवरण नहीं दिया गया है। प्रतिपरीक्षा में कहा है कि कृषि उपकरण में कुछ उपकरण कर मुक्त हैं तथा कुछ पर 5 प्रतिशत कर लिया जाता है किन्तु वह नहीं बता सकता कि किन उपकरणों पर कर लिया जाता है तथा कौन उपकरण करमुक्त हैं।

<u>ऋणी आवेदकों के भार मुक्त प्रमाण पत्र</u>

35. बैंक के पैनल अधिवक्ता **साक्षी पी0डब्लू0 16 सोहन लाल गोयल** ने अभियुक्त मंजीत सिंह के लोन पत्रावली प्रदर्श पी–88 एवं प्रदर्श पी–89, अभियुक्त रमेश सिंह के लोन पत्रावली प्रदर्श क–12 प्रदर्श क–13, अभियुक्त प्रीतम सिंह के लोन पत्रावली प्रदर्श क–16 व प्रदर्श

क–17, अभियुक्त सरजीत सिंह के लोन पत्रावली प्रदर्श क–30 व प्रदर्श क–31, अभियुक्त भीम सिंह के लोन पत्रावली प्रदर्श क–22 व प्रदर्श क–23, अभियुक्त कृष्ण कुमार के लोन पत्रावली प्रदर्श क–26 व प्रदर्श क–27, अभियुक्त कुलदीप सिंह के लोन पत्रावली प्रदर्श क–28 व प्रदर्श क–29, अभियुक्त सरबजीत सिंह के लोन पत्रावली प्रदर्श क–20 व प्रदर्श क–21, अभियुक्त अशोक कुमार के लोन पत्रावली प्रदर्श क–40 व प्रदर्श क–41, अभियुक्त मंजीत सिंह पुत्र जसवंत सिंह के लोन पत्रावली प्रदर्श क–36 व प्रदर्श क–37, अभियुक्त करनैल सिंह के लोन पत्रावली प्रदर्श क–38 व प्रदर्श क–39 सभी पर उसके द्वारा जारी भार मुक्त प्रमाण पत्र, जांच आख्या, निरीक्षण आख्या, तत्संबंधी फीस की रसीद, लोन संबंधी अभियुक्त का शपथ पत्र पर नोटरी संबंधी अपने हस्ताक्षर व मोहर का समर्थन किया है। उपरोक्त ऋण पत्रावलियों में साक्षी द्वारा तैयार की गयी एन0ई0सी0 रिर्पोट में ऋणी द्वारा बंधक रखी गयी सम्पत्ति के सम्बन्ध में उप–निबन्धक कार्यालय में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर सम्पत्ति पर भार पाया गया था, जिसका उल्लेख साक्षी ने अपनी रिर्पोट में किया है। साक्षी ने कहा है कि शपथ पत्र में जो भार मुक्त होने वाली बात लिखी है वह ऋणी के कथन हैं। प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कहा है कि वह सम्पत्ति का मूल्यांकर सर्किल रेट के अनुसार करता है। यह भी कहा है कि ऋणी के शपथपत्र बनाने में बैंक अधिकारी की कोई भूमिका नहीं होती है।

<u>बीमा कम्पनी के साक्षीगण</u>

36. ओरिएंटल इंशोरेंस कम्पनी के **पी0डब्लू0 4 दिग्विजय सिंह पांगती** ने कहा है कि वह दिनांक 16.11.2018 को ओरियंटल इंश्योरेंस कार्यालय देहरादून में कार्यरत था और उसने सीबीआई के पत्र के जवाब में दिनांक 16.11.2018 को पत्र कागज संख्या 68ए/1–2 प्रदर्श क–4 के माध्यम से कंफर्म किया था कि किसान पैकेज इंश्योरेंस पॉलिसी तथा Standard fire and special perils policy के अंतर्गत इंश्योरेंस के समय जिन कृषि उपकरणों का बीमा बैंक द्वारा प्रस्तावित किया गया है, उनके लिए कृषि उपकरणों का भौतिक निरीक्षण बीमा कंपनी के अभिकर्ता या विकास अधिकारी द्वारा किये जाने सम्बन्धी इंश्योरेंस कंपनी का कोई सर्कुलर या गाइडलाईन नहीं है। जिसका अर्थ यह है कि बैंक के संबंध में जहां पर बैंक द्वारा किसान पैकेज इंश्योरेंस पॉलिसी Standard fire and special perils policy के अंतर्गत इंश्योरेंस के समय जिन कृषि उपकरणों का बीमा बैंक द्वारा प्रस्तावित किया गया है, कृषि उपकरणों का भौतिक निरीक्षण बीमा कंपनी के अभिकर्ता या विकास अधिकारी द्वारा नहीं किया जाता है।

37. ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी के साक्षी **पी0डब्लू0 9 मुरली मनोहर सिंह नेगी** ने कहा है कि वह अक्टूबर 2017 में बतौर प्रशासनिक अधिकारी और वर्ष 2018 में सहायक प्रबंधक के पद पर शाखा काशीपुर में कार्यरत रहा। उसने कागज संख्या 167ए/1 लगायत 67ए/2 प्रोडक्शन कम सीजर मीमो दिनांकित 13.11.2018 से दस्तावेज सीबीआई के निरीक्षक को दिये थे। कागज संख्या 23ए/1 लगायत 23ए/82 के आंतरिक पृष्ठ संख्या 23ए/68 लगायत 23ए/72 पर मंजीत सिंह पुत्र श्री बाजा सिंह की पालिसी संख्या 253801/11/2016/1172 में उपकरणों की राशि रूपये 19,76,500 कोट की गयी थी, जिसका प्रीमियम रूपये 12,023 था। कागज संख्या 28ए/1 लगायत 28ए/86 के आंतरिक पृष्ठ संख्या 28ए/73 लगायत 28ए/77 पर गजपाल सिंह की पालिसी संख्या 253801/11/2016/1182 में उपकरणों की राशि रूपये 13.44 लाख की गयी थी, जिसका प्रीमियम रूपये 8176 था। कागज संख्या 33ए/1 लगायत 32ए/125 के आंतरिक पृष्ठ संख्या 32ए/111 लगायत 32ए/114 पर रमेश सिंह की पालिसी संख्या 253801/11/2015/762 में उपकरणों की राशि रूपये 9,90,000 कोट की गयी थी, जिसका प्रीमियम रूपये 5,480 था। कागज संख्या 36ए/1 लगायत 36ए/108 के आंतरिक पृष्ठ संख्या 36ए/91 लगायत 36ए/95 पर प्रीतम सिंह की पालिसी संख्या 253801/11/2015/461 में उपकरणों की राशि रूपये 9,70,000 कोट की गयी थी, जिसका प्रीमियम रूपये 8611 था। कागज संख्या 36ए/87 लगायत 36ए/90 प्रीतम सिंह पुत्र भान सिंह की दूसरी कृषि उपकरण पॉलिसी है, जिसमें कुल रूपये 20 लाख का सम इन्श्योर्ड है व इसका प्रीमियम 11798 रूपये था। कागज संख्या 40ए/1 लगायत 40ए/84 के आंतरिक पृष्ठ संख्या 40ए/71 लगायत 40ए/74 पर सरजीत सिंह, अंग्रेज सिंह तथा दलवीर कौर की पालिसी संख्या 253801/11/2015/752 में उपकरणों की राशि रूपये 20,00,000 कोट की गयी थी, जिसका प्रीमियम रूपये 11798 था। कागज संख्या 42ए/1 लगायत 42ए/76 के आंतरिक पृष्ठ संख्या 42ए/63 लगातय 42ए/66 भीम सेन की पालिसी संख्या 253801/11/2015/515 में उपकरणों की राशि रूपये 19,95,000 लाख कोट की गयी थी, जिसका प्रीमियम रूपये 17,708 था। कागज संख्या 46ए/1 लगायत 46ए/84 के आंतरिक पृष्ठ संख्या 46ए/73 लगायत 46ए/76 पर कृष्ण कुमार की पालिसी संख्या 253801/11/2015/744 में उपकरणों की राशि रूपये 21,75,000 कोट की गयी थी, जिसका प्रीमियम रूपये 12830 था। कागज संख्या 48ए/1 लगायत 48ए/80 के आंतरिक पृष्ठ संख्या 48ए/65 लगायत 48ए/68 पर श्री कुलदीप सिंह की पालिसी संख्या 253801/11/2016/921 में उपकरणों की राशि रूपये 17,40,000 कोट की गयी थी, जिसका

प्रीमियम रूपये 10,460 था। कागज संख्या 50ए/1 लगायत 50ए/106 के आंतरिक पृष्ठ संख्या 50ए/91 लगायत 50ए/94 पर सरजीत सिंह की पालिसी संख्या 253801/11/2015/754 में उपकरणों की राशि रूपये 20,00,000 कोट की गयी थी, जिसका प्रीमियम रूपये 11,798 था। कागज संख्या 50ए/95 लगायत 50ए/98 रिन्यूवल पॉलिसी है, जो कि कुल रूपये 16,00,000 थी, जिसका प्रीमियम रूपये 9,618 था। कागज संख्या 67ए/22 प्रपोजल फार्म है, जिसके अनुसार वेद प्रकाश की पॉलिसी का रूपये 22,30,000 का सम इंश्योरड है, और इस पर प्रीमियम 13,155 रूपये साक्षी के द्वारा वैरिफाई किया गया था, जिसके आधार पर दिनांक 08.01.2015 को पॉलिसी संख्या 253801/11/2015/732 जारी की गयी थी। कागज संख्या 56ए/1 लगायत 56ए/132 के आंतरिक पृष्ठ संख्या 56ए/83 लगायत 56ए/86 पर मंजीत सिंह पुत्र जसवंत सिंह की पालिसी संख्या 253801/11/2015/765 में उपकरणों की राशि रूपये 15,60,000 कोट की गयी थी, जिसका प्रीमियम रूपये 9,202 था।

38. आगे कहा है कि कागज संख्या 58ए/1 लगायत 58ए/88 के आंतरिक पृष्ठ संख्या 58ए/74 लगायत 58ए/78 पर करनेल सिंह पुत्र तेजा सिंह की पालिसी संख्या 253801/11/2016/914 में उपकरणों की राशि रूपये 13,60,000 कोट की गयी थी, जिसका प्रीमियम रूपये 8,176 था। कागज संख्या 60ए/1 लगायत 60ए/92 के आंतरिक पृष्ठ संख्या 60ए/79 लगायत 60ए/82 पर अशोक कुमार की पालिसी संख्या 253801/11/2016/598 में उपकरणों की राशि रूपये 19,95,000 कोट की गयी थी, जिसका प्रीमियम रूपये 11,940 था। यह कहा है कि उपकरणों का बीमा करने के लिये बीमा कम्पनी के अभिकर्ता मौके पर जाकर उपकरणों का निरीक्षण नही करते हैं और बैंक द्वारा प्रस्ताव पत्र पर लिखी हुयी धनराशि एवं उपकरणों के आधार पर बीमा कम्पनी पॉलिसी जारी करती है। पॉलिसी जारी करने के बाद पॉलिसी बैंक के शाखा प्रबंधक को दी जाती है क्योंकि इंश्योरेन्स परम सद्भाव के आधार पर की जाने वाली संविदा है। प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कहा है कि बीमा कम्पनी मोटर वाहन बीमा के अलावा मेगा रिस्क बीमा के अलावा अन्य बीमा प्रस्तावों के लिये भौतिक निरीक्षण करने हेतु बाध्य नहीं होता है। जब बैंक किसी सम्पत्ति या उपकरण का बीमा प्रस्ताव भेजता है तो बीमा कम्पनी द्वारा बिना भौतिक निरीक्षण किये बीमा किया जा सकता है क्योंकि बैंक बीमा कम्पनी के कार्पोरेट अभिकर्ता के रूप में कार्य करता है।

<u>बैंक के साक्षीगण</u>

39. एसबीआई, एडीबी बाजपुर के मुख्य प्रबंधक **पी0डब्लू0 10 प्रेम लाल आर्य** ने कहा है कि वह इस शाखा में दिनांक 09.10.2017 से 29.05.2019 तक कार्यरत रहे थे। इस दौरान उसने बैंक के रिकॉर्ड से कुछ दस्तावेज सीबीआई के अधिकारी को दिये थे।

<u>ऋणों के बारे में बैंक के नियम एवं दिशा निर्देश</u>

40. यूजीबी मुख्यालय के वरिष्ठ प्रबन्धक **पी0डब्लू0 3 सतेन्द्र सिंह नेगी** ने कहा है कि उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक में कृषि, उद्योग/व्यवसाय और वैयक्तिक तीन प्रकार के लोन होते हैं। कृषि लोन में केसीसी और टर्म लोन होते हैं। केसीसी लोन अल्पावधि का फसल से संबंधित लोन है जिसके अंतर्गत बीज एवं कीटनाशकों की खरीद तथा बुआई–कटाई से संबधित व्यय किये जाते हैं। यह लोन किसानों को उनकी भूमि की जोत, उगाई जाने वाली फसल, जिला स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा निर्धारित फसल वित्तमान पर आधारित कृषि उपकरणों के रखरखाव एवं किसानों की निजी आवश्यकताओं के आधार पर प्रदान किया जाता है। केसीसी लोन के लिये सभी कृषक पात्र होते हैं जो कृषि कार्य करते हैं जो पांच वर्ष के लिये होता है जिसकी प्रतिवर्ष समीक्षा की जाती है। केसीसी लोन धारक को व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा से अच्छादित किया जाता है जिसमें प्रीमियम 45/–रूपये तीन साल के लिये होता है। केसीसी एक रिवाल्विंग क्रेडिट है जिसके अन्तर्गत ऋणी स्वीकृत सीमा तक ऋण को अपने खाते से निकाल और जमा कर सकता है।

41. आगे कहा है कि टर्म लोन एक निश्चित अवधि के लिये दिया जाता है जिसकी वसूली किस्तों में की जाती है। ऋण की स्वीकृति से पूर्व ऋण प्रार्थना पत्र, मूल्यांकन फार्म, ऋण स्वीकृति पूर्व सर्वेक्षण रिपोर्ट तथा ओपिनियन रिपोर्ट में दर्ज समस्त सूचना का विवरण वास्तविक तथा साक्ष्य आधारित होना चाहिए तथा ऋणी और जमानती के आवास और कार्यस्थल का भौतिक निरीक्षण करना आवश्यक है। इसके अलावा कृषि भूमि का गाइडमैप बनाकर दस्तावेजों में सुरक्षित रखा जाता है और ऋणी के सिबिल रिपोर्ट देखी जाती है कि कोई प्रतिकूल टिप्पणी तो दर्ज नहीं है। यदि ऋणी का अन्य कोई ऋण चल रहा है तो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि खाता अनियमित तो नहीं है। एटीएल एक टर्म लोन है जिसकी स्वीकृति कोटेशन के अनुसार 15 प्रतिशत मार्जिन मनी के आधार पर की जाती है। मार्जिन मनी ऋणी के खाते में जमा होनी आवश्यक है। एटीएल ऋण स्वीकृति का विवेकाधिकार मैनेजर का है और ऋण सीमा उसके स्केल के अनुसार तय होती है। जेस्टेशन ऋण के स्थगन काल को कहते हैं जैसे यदि कृषक अपने निजी कृषि कार्यों के लिये ट्रेक्टर ऋण लेता है तो 12 माह और यदि कस्टम हायरिंग करता है तो 6 माह तक पुनर्भुगतान से मुक्त रखा जायेगा। ऋण का पुनर्भुगतान काल निजी कृर्षि कार्यो हेतु ट्रेक्टर के लिये 9 वर्ष में और कस्टम हायरिंग के लिये 7 वर्ष में होता है। ट्रेक्टर और कृषि उपकरणों का दृष्टिबंधन चार्ज होता है जो संभागीय परिवहन अधिकारी की पुस्तकों में, पंजीयन प्रमाण पत्रों में, बीमा पॉलिसी में, बैंक का नाम वित्तपोषक के रूप में दर्ज कराया जाता है। सह–प्रतिभूति रूप में एक लाख रूपये से अधिक के लोन में भूमि पर प्रभार अथवा ऋण के 30 प्रतिशत मूल्य की तरल प्रतिभूति एवं ऋण के बराबर हैसियत वाले दो जमानती आवश्यक होते हैं। एटीएल ऋण बैंक द्वारा तभी दिया जा सकता है जब बैंक में आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज लगे हों, यथा के0वाई0सी0, खसरा खतौनी, फोटोग्राफ,

सिविल रिपोर्ट, एन0ओ0सी0, एन0ई0सी0 (भार मुक्त प्रमाण पत्र), प्रोजेक्ट रिपोर्ट, भूमि की जोत का प्रमाण पत्र, शाखा प्रबंधक का साक्षात्कार सह मूल्यांकन फार्म, अधिकृत डीलर द्वारा जारी ट्रेक्टर/उपकरणों का नवीनतम कोटेशन, स्कोरिंग मॉडल आदि।

42. यूजीबी क्षेत्रीय कार्यालय के प्रबन्धक ऋण **पी0डब्लू0 14 प्रकाश चन्द बुधानी** ने कहा है कि वह कृषि सावधि ऋण किसान कैडिट कार्ड ऋण की प्रकिया की स्वीकृति से वाकिफ हूॅ। उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक कृषि संबंधी फसली ऋण, केसीसी, कृषि सावधि ऋण प्रदान करता है। केसीसी ऋण फसल उत्पादन के लिए, कृषि सावधि ऋण कृषि उपकरण तथा पशुधन हेतु प्रदान किया जाता है। केसीसी का मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादन व किसानों के केडिट सपोर्ट हेतु ऋण दिया जाना है। सर्कुलर संख्या 2015 दिनांकित 12.02.2015 द्वारा किसान केडिट कार्ड के संबंध में कतिपय संशोधन किये गये थे। इन संशोधनों में ऋण पाने की पात्रता आयु 18 से 70 वर्ष की गयी है। इस सर्कुलर के अनुसार बटाईदार, मौखिक पट्टेदार, आसामी काश्तकार को ऋण देने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि जिस जोत पर ऋण दिया जाना है उस पर वह वास्तव में कार्य कर रहा हो। इसके अलावा यह भी प्रावधानित है कि प्राथमिकतानुसार संयुक्त देयता समूह के अंतर्गत ऋण दिया जाये। उपरोक्त सर्कुलर के अनुसार केसीसी लोन हेतु फसल का बीमा कराना अनिवार्य है। केसीसी ऋण के अंतर्गत दो तरह का बीमा किया जाता है, एक फसल बीमा और एक ऋणी का बीमा। उपरोक्त बीमा संबंधी विवरण इस सर्कुलर के बिन्दु संख्या 15 में वर्णित है। केसीसी ऋण की अवधि 5 वर्ष की होती है और इसमें एक बार में नामे किये गये ऋण की राशि को 12 माह के अन्दर वापस करना होता है। केसीसी ऋण में 3 लाख तक की ऋण राशि में ब्याज दर 7 प्रतिशत होती है और इससे अधिक 5 लाख तक 12.5 प्रतिशत तक की होती है। केसीसी ऋण पर 2 लाख तक प्रोसेसिंग चार्जेज नहीं लगता है जबकि 2 लाख से उपर के ऋण के लिए प्रोसेसिंग चार्जेज 1.25 प्रतिशत होता है। केसीसी ऋण को प्रतिवर्ष रिव्यू किया जाता है तथा हर तीसरे वर्ष इसका नवीनीकरण होता है। रबी व खरीफ की फसलों के लिए दो फसल चक्र का जेस्टेशन समय होता है जबकि गन्ने की फसल के लिए एक फसल चक्र का समय होता है।

43. साक्षी ने आगे कहा है कि परिपत्र संख्या 2015 दिनांकित 12.02.2015 ट्रैक्टर क्रय हेतु कृषि ऋण योजना के अनुसार कृषकों को कृषि उपज बढ़ाने के साथ कस्टम हायरिंग द्वारा अतिरिक्त आय सृजन हेतु ट्रैक्टर तथा अन्य कृषि उपकरण के लिये ऋण दिया जाता है। इस परिपत्र में ऋण का उद्देश्य, पात्रता, ऋण सुविधा का प्रकार, ऋण सीमा, मार्जिन, ब्याज दर, प्रसंस्करण शुल्क. ऋण स्वीकृति विवेकाधिकार, ऋण वितरण, जेस्टेशन, पुर्नभुगतान, प्रतिभूति, दस्तावेज, बीमा, निरीक्षण, ऋण का समय पूर्व भुगतान, विचलन तथा आवश्यक सावधानियों के बारे में उल्लेख किया गया है। ऋण स्वीकृत होने से पहले ही अन्य बैंको के अदेय प्रमाण पत्र तथा उनकी भूमि के प्रभार रहित होने का

प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक है परन्तु प्रस्तुत मामले में ऋण स्वीकृति अधिकारी ने झूठे शपथ पत्र लेकर ऐसे व्यक्तियों को ऋण दिये जिनकी भूमि पहले से अन्य बैंकों में बंन्धक रखी गयी थी। बैंक के पैनल अधिवक्ता द्वारा जारी एन0ई0सी0/टी0आई0आर0 में स्पष्ट रूप से लिखा है कि आवेदक की भूमि अन्य बैंक में बंन्धक है, फिर भी तत्कालीन शाखा प्रबंधक राम अवतार सिंह दिनकर द्वारा ऋण आवेदकों को अनुचित व कपटपूर्ण तरीके से मिलिभगत कर ऋण स्वीकृत किया गया। इस मामले में बैंक के उक्त परिपत्रों में जारी दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया गया और सारे खाते एन. पी.ए. हो गये। कृषि उपकरणों हेतु स्वीकृत किये गये ऋणों में आवेदकों को पहले केसीसी ऋण स्वीकृत किया गया तत्पश्चात उसको मार्जिन मनी बनाकर एक बडा कृषि सावधि ऋण कृषि उपकरणों हेतु स्वीकृत किया गया। फिर कुल प्रोजेक्ट राशि जिसमें मार्जिन मनी एंव नए कृषि सावधि ऋण की राशि का भुगतान कृषि उपकरणों की खरीद हेतु सप्लायर केजीएन को किया गया। सप्लायर केजीएन ने ऋणियों को कृषि उपकरण न देकर नकद/चैक द्वारा ऋण की राशि वापस भुगतान कर दी और तत्कालीन शाखा प्रबंधक ने बैंक दस्तावेंजों में झूठी पुष्टि रिपोर्ट दी कि उपकरण खरीदे गये हैं। इसके अतिरिक्त सप्लायर केजीएन ने हायर रेट के कोटेशन दिये ताकि ऋण राशि बढायी जा सके। अभियुक्तगण के इस कृत्य से बैंक ऋण का दुरूपयोग हुआ एवं बैंक को बड़े स्तर पर वित्तीय हानि हुयी। शाखा प्रबंधक बाजपुर द्वारा स्वीकृत किये गये केसीसी ऋणों में 3 फसल चक्र दिखाकर केसीसी राशि को अनावश्यक रूप से बढाया गया, जबकि क्षेत्र में केवल 2 फसलें बोई जाती थी। तत्कालीन शाखा प्रबंधक द्वारा ऐसे उधारकर्ताओं को भी ऋण दिये गये जिनके ऋण खाते ओ.टी.एस. के अन्तर्गत अन्य बैंकों ने बन्द कराये गये थे।

44. यूजीबी मुख्यालय के सहायक प्रबन्धक **पी0डब्लू0 15 आशीष मैठाणी** ने कहा है कि उसने कार्यालय के निर्देश पर बैंक के विभिन्न परिपत्रों की प्रतियों को पत्र दिनांक 29.06.2018 से सीबीआई अधिकारी श्रीमती शमा मारूफ को हस्तगत किया था। साक्षी ने उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक के परिपत्रों की सत्यापित प्रतियां तसदीक की हैं और कहा है कि इन परिपत्रों में उत्तराखंड ग्रामीण बैंक के ऋण स्वीकृत एवं ऋण स्वीकृति संबधी विवेकाधिकार, क्रेडिट इन्फोरमेशन ब्यूरो आफ इंडिया लिमिटेड के परिचालनात्मक प्रक्रिया के निर्देश, कृषि ऋण योजना–किसान क्रेडिट कार्ड (संशोधित), कृषि ऋण ट्रैक्टर क्रय हेतु ऋण योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना–संशोधित योजना आदि के संबंध में निर्देश दिये गये हैं।

<u>विवेचक</u>

45. विवेचक **पी0डब्लू0 19 शमा मारूफ** ने कहा है कि प्रस्तुत मामला श्री सत्यपाल सिंह की लिखित शिकायत पर सीबीआई, देहरादून द्वारा धारा 120बी, 420, 468, 471 आईपीसी तथा धारा 13(2) सपठित धारा 13(1)(डी) के अतंर्गत दिनांक 19.06.2018 को पंजीकृत किया गया था और

मामले की विवेचना उसको सौंपी गयी थी। साक्षी ने कहा है कि विवेचना के दौरान उसने दस्तावेज एकत्रित किये थे, गवाहों के बयान दर्ज किये थे तथा विभिन्न विभागों से पत्राचार किया गया था। मामले से सम्बन्धित दस्तावेजों एवं संबंधित पत्रावलियों को सीज किया गया था तथा विभाग के संबंधित अधिकारियों एवं अन्य संबंधित व्यक्तियो के बयान धारा 161 सीआरपीसी के अन्तर्गत दर्ज किये गये थे। विवेचना में संकलित मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण राम अवतार सिंह दिनकर, मोहम्मद फुरकान (मैसर्स केजीएन ट्रैक्टर्स एण्ड इक्वीपमेन्ट), मंजीत सिंह पुत्र बाजा सिंह, गजपाल सिंह, रमेश सिंह, प्रीतम सिंह, सरबजीत सिंह, भीमसेन, कृष्ण कुमार, कुलदीप सिंह, सरजीत सिंह, वेद प्रकाश, मंजीत सिंह पुत्र जसवंत सिंह, करनैल सिंह एवं अशोक कुमार के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120बी, 420 तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(2) सपठित धारा 13(1)(डी) के अतंर्गत दिनांक 24.12.2018 को न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र प्रस्तुत किया था। इस साक्षी ने अन्य दस्तावेजों के अलावा प्रस्तुत मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट तथा आरोप पत्र साबित किये हैं। प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कहा है कि कुछ बिन्दुओं पर सहकर्मी श्री हरीश सिंह खर्कवाल ने भी समान अभियुक्तगण के विरूद्ध विवेचना की थी। उसकी विवेचना में राम अवतार सिंह दिनकर के द्वारा दिये गये ऋण अनियमितता की श्रेणी में नहीं अपितु धारा 420 आईपीसी के अपराध के अन्तर्गत आते हैं। विवेचना में यह नहीं पाया गया था कि जमीन के कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर ऋण दिया गया हो। विवेचना में यह नहीं पाया गया कि केजीएन के खाते से कोई धनराशि राम अवतार सिंह दिनकर के खाते में गयी हो किन्तु केजीएन के कार्यालय से सीज रजिस्टर, जो सीबीआई वाद संख्या 4 वर्ष 2018 में दाखिल है, में राम अवतार सिंह दिनकर के पावती हस्ताक्षर नहीं हैं। उसने यूजीबी शाखा बाजपुर का विवेचना के दौरान भ्रमण नहीं किया था किन्तु सहकर्मी श्री हरीश सिंह खर्कवाल कितनी बार यूजीबी शाखा बाजपुर गये वह नहीं बता सकती। ऋणियों की एनईसी रिपोर्ट में आया था कि उन पर पहले से ही ऋण चल रहे थे और बैंक नियमों के अनुसार उनको हैसियत से अधिक दूसरे नये ऋण नहीं दिये जा सकते थे।

<u>निष्कर्ष</u>

46. अभियुक्त **ए–1** राम अवतार सिंह दिनकर के विरूद्ध यह आरोप है कि उसने यूजीबी शाखा बाजपुर के प्रबन्धक के पद पर कार्यरत रहते हुए आपराधिक षडयन्त्र के तहत केजीएन ट्रैक्टर्स एण्ड इक्विप्मेंट्स के मालिक **ए–2** मौहमद फुरकान तथा सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर सदोष लाभ प्राप्त करने और बैंक को सदोष हानि पहुंचाने के बेईमानीपूर्वक आशय से केसीसी और एटीएल ऋण वितरित किये तथा लोक सेवक पद का दुरूपयोग करते हुए आपराधिक कदाचार कारित किया। शेष अभियुक्तगण **ए–3** मंजीत सिंह पुत्र बाजा सिंह, **ए–4** गजपाल सिंह, **ए–5** रमेश सिंह, **ए–6** प्रीतम सिंह, **ए–7** सर्वजीत सिंह, **ए–8** भीम सैन, **ए–9**

कृष्ण कुमार, **ए–10** कुलदीप सिंह, **ए–11** सरजीत सिंह, **ए–13** मंजीत सिंह पुत्र जसवन्त सिंह तथा **ए–14** करनैल सिंह के विरूद्ध यह आरोप है कि उन्होंने उक्त आपराधिक षडयन्त्र में शामिल होकर सदोष लाभ प्राप्त करने और बैंक को सदोष हानि पहुंचाने के बेईमानीपूर्वक आशय से गलत तथ्यों के आधार पर केसीसी और एटीएल ऋण प्राप्त किया और ऋण खाते एनपीए हो जाने के कारण बैंक को भारी हानि हुई। अभियुक्तगण **ए–2** मौहमद फुरकान द्वारा जुर्म स्वीकार किये जाने पर उसकी पत्रावली पृथक की गयी है जबकि दौराने विचारण अभियुक्तगण **ए–12** वेद प्रकाश व **ए–15** अशोक कुमार की मृत्यु हो जाने के कारण उनके विरूद्ध वाद की कार्यवाही उपशमित हो चुकी है।

(क) आपराधिक षडयन्त्र का अपराध

47. धारा 120ए आई.पी.सी. के अनुसार जब दो या दो से अधिक व्यक्ति कोई अवैध कार्य करने अथवा ऐसा कार्य करने के लिये सहमत होते हैं जो अवैध तरीके से करने पर अवैध न हो तथा उस समझौते के अग्रसरण में किसी एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा ऐसा कार्य किया जाता है तो यह आपराधिक षडयन्त्र का अपराध कहलाता है। आई.पी.सी. की धारा 120ए में दी गयी आपराधिक षडयन्त्र की परिभाषा निम्नवत् उद्धृत है–

120A. Definition of criminal conspiracy.—When two or more persons agree to do, or cause to be done,—

(1) an illegal act, or

(2) an act which is not illegal by illegal means, such an agreement is designated a criminal conspiracy:

Provided that no agreement except an agreement to commit an offence shall amount to a criminal conspiracy unless some act besides the agreement is done by one or more parties to such agreement in pursuance thereof.

Explanation.—It is immaterial whether the illegal act is the ultimate object of such agreement, or is merely incidental to that object.

48. आई.पी.सी. की धारा 120बी आपराधिक षडयन्त्र के अपराध के लिये दण्ड का प्रावधान करता है, जो निम्नवत् है–

120B. Punishment of criminal conspiracy.—(1) Whoever is a party to a criminal conspiracy to commit an offence punishable with death, imprisonment for life or rigorous imprisonment for a term of two years or upwards, shall, where no express provision is made in this Code for the punishment of such a conspiracy, be punished in the same manner as if he had abetted such offence.

(2) Whoever is a party to a criminal conspiracy other than a criminal conspiracy to

commit an offence punishable as aforesaid shall be punished with imprisonment of either description for a term not exceeding six months, or with fine or with both.

(ख) धोखाधड़ी और बेईमानीपूर्वक सम्पत्ति प्रदत्त करने के लिये प्रेरित करने का अपराध

49. धारा 420 आई.पी.सी. के अपराध के गठन हेतु ''धोखाधड़ी'' एवं ''बेईमानीपूर्वक सम्पत्ति प्रदत्त करने के लिये प्रेरित करना'' आवश्यक तत्व हैं । आई.पी.सी. की धारा 415 में धोखाधड़ी को परिभाषित किया गया है, जो निम्नवत् उद्धृत है–

415. Cheating.—Whoever, by deceiving any person, fraudulently or dishonestly induces the person so deceived to deliver any property to any person, or to consent that any person shall retain any property, or intentionally induces the person so deceived to do or omit to do anything which he would not do or omit if he were not so deceived, and which act or omission causes or is likely to cause damage or harm to that person in body, mind, reputation or property, is said to "cheat". Explanation.—A dishonest concealment of facts is a deception within the meaning of this section.

50. ''बेईमानीपूर्वक'' और ''छलपूर्वक'' शब्दों को आई.पी.सी. की धारा 24 एवं 25 में परिभाषित किया गया है, जो निम्नवत् उद्धृत है–

24. "Dishonestly".—Whoever does anything with the intention of causing wrongful gain to one person or wrongful loss to another person, is said to do that thing "dishonestly".

25. "Fraudulently".—A person is said to do a thing fraudulently if he does that thing with intent to defraud but not otherwise.

(ग) आपराधिक कदाचार का अपराध

51. धारा 13(1) पी.सी. एक्ट 1988 (संशोधन 2018 से पूर्व) आपराधिक कदाचार के अपराध को परिभाषित करता है, जबकि इस धारा की उपधारा (2) इस अपराध के दण्ड का प्रावधान करता है। धारा 13 पी.सी. एक्ट निम्नवत् उद्धृत है–

13. (1) A public servant is said to commit the offence of criminal misconduct,—

(a) ……………..

(b)…………….

(c) ……………

(d) if he,—

(i) by corrupt or illegal means, obtains for himself or for any other person any valuable thing or pecuniary advantage; or

(ii) by abusing his position as a public servant, obtains for himself or for any other person any valuable thing or pecuniary advantage; or

(iii) while holding office as a public servant, obtains for any person any valuable thing or pecuniary advantage without any public interest; or

(e) ……………..

Explanation.—For the purposes of this section, "known sources of income" means income received from any lawful source and such receipt has been intimated in accordance with the provisions of any law, rules or orders for the time being applicable to a public servant.

(2) Any public servant who commits criminal misconduct shall be punishable with imprisionment for a term which shall be not less than four years but which may extend to ten years and shall also be liable to fine.(Sentence amended vide 16.01.2014 by Amendment Act 2014)

52. अभियोजन साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त ए–1 राम अवतार सिंह दिनकर ने यूजीबी शाखा बाजपुर का शाखा प्रबन्धक रहते हुए प्रश्नगत केसीसी एवं एटीएल ऋण स्वीकृत एवं वितरित किये। यह भी स्पष्ट है कि एटीएल ऋण कास्तकार अभियुक्तगण के खाते में अन्तरित होने के बाद बैंकर्स चैक के माध्यम से अभियुक्तगण मौहमद फुरकान के स्वामित्व वाली फर्म केजीएन ट्रैक्टर एण्ड इक्विप्मेंट्स के खाते में अन्तरित की गयी। यह साबित है कि एटीएल ऋण प्राप्त करने के लिये ऋण प्रस्ताव का 15 प्रतिशत मार्जिन मनी की व्यवस्था काश्तकार अभियुक्तगण द्वारा स्वयं की जानी थी किन्तु अधिकांश एटीएल ऋणों में मार्जिन मनी के लिये ऋणियों के नाम केसीसी फसली ऋण स्वीकृत किये गये और यह धनराशि एटीएल ऋण की मार्जिन मनी के रूप में प्रयोग की गयी। यह तथ्य भी साबित है कि अभियुक्तगण मौहमद फुरकान की फर्म केजीएन ट्रैक्टर एण्ड इक्विप्मेंट्स द्वारा एटीएल ऋण प्राप्त करने वाले कास्तकार अभियुक्तगण को किसी भी कृषि उपकरण की आपूर्ति नहीं की गयी और केजीएन द्वारा यह धनराशि नकद अथवा चैक के माध्यम से ऋणी कास्तकारों को वापस कर दी गयी। इस प्रकार सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से रियायती ब्याज दरों पर किसानों को दिया जाने वाला केसीसी एवं एटीएल ऋण का कोई प्रयोजन प्राप्त नहीं हो पाया और अन्ततः उक्त ऋण खाते एनपीए होकर बैंक को भारी क्षति हुई।

53. अभियोजन साक्ष्य से विदित होता है कि एटीएल और केसीसी ऋणों के खातों से धनराशि किसानों के बचत खातों में अन्तरित की गयी थी जबकि ऐसा नहीं किया जा सकता था। यदि ऐसा न किया जाता तो केसीसी ऋण की धनराशि का एटीएल ऋण के लिये मार्जिन मनी के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता था। किसानों को कृषि उपकरणों की आपूर्ति के लिये उनके एटीएल ऋण खाते से डीलर को धनराशि अन्तरित की जा सकती थी किन्तु ऐसा

तभी किया जा सकता था जब प्रतिस्पर्धात्मक कोटेशनों के आधार पर खरीद की प्रक्रिया अपनायी जाती। ऋणी अभियुक्तगण ने कहा है कि वे प्रस्तुत ऋण प्राप्त करने से पहले बैंक के शाखा प्रबन्धक तथा केजीएन के मालिक को नहीं जानते थे। किन्तु अभियुक्तगण के ऋण आवेदन फाईलों पर बतौर गवाह केजीएन के मालिक इरशाद हुसैन के हस्ताक्षर दर्शित हैं। बैंक के साक्षी हेम चन्द्र उपाध्याय पी0डब्ल्यू0 18 ने भी कहा है कि जब भी वह बैंक आता था तो मौहमद फुरकान शाखा प्रबन्धक के चैम्बर में बैठा पाता था। ऐसे में शाखा प्रबन्धक द्वारा एटीएल ऋण खाते से से धनराशि ऋणी कास्तकारों के बचत खाते में अन्तरित कर बैंकर्स चैक के माध्यम से केजीएन के खाते में अन्तरित करना आपराधिक षडयन्त्र की पुष्टि करता है। क्योंकि अभियोजन साक्षियों ने कहा है कि बैंक ने कृषि उपकरणों की खरीद हेतु प्रचलित दरों से अधिक मूल्य का कोटेशन केवल एक फर्म केजीएन ट्रैक्टर्स एंड इक्विप्मेंट्स से लेकर कृषि उपकरणों की आपूर्ति हेतु ऋण की धनराशि सीधे अन्तरित की गयी किन्तु किसानों को कृषि उपकरणों की आपूर्ति नहीं की गयी और न ही किसानों ने कोई कृषि उपकरण खरीदे जबकि अधिकांश ऋणों में ट्राली, रूटावेटर, धान थ्रेसर, गेहूं थ्रेसर, गेहूं रीपर, जीरो ड्रिल, मेण्ड डोलर, हैरो, कल्टीवेटर आदि कृषि यन्त्रों के लिये ऋण स्वीकृत हुआ है। कतिपय अभियुक्तगण के हैसियत प्रमाणपत्रों में उनकी कृषि भूमि, मकान, दुधारू पशु तथा अन्य घरेलू सामान के अलावा कोई कृषि उपकरण नहीं बताये गये हैं। ऋणी अभियुक्तगण ने अपने बचाव में यह नहीं कहा है कि एटीएल ऋण की धनराशि, जो केजीएन के खाते में अन्तरित की गयी थी, उसके एबज में केजीएन द्वारा कृषि उपकरण उपलब्ध कराये गये थे या केजीएन द्वारा धनराशि वापस किये जाने पर उन्होंने स्वयं कृषि उपकरणों की खरीद की थी।

54. यह साबित किया गया है कि केजीएन ने किसानों को कृषि उपकरणों की आपूर्ति करने के बजाय चैकों द्वारा ऋणी अभियुक्तगण को धनराशि लौटा दी। केजीएन की ओर से जारी कोटेशनों तथा बिलों पर 5 प्रतिशत व्यापार कर अंकित है किन्तु अभियोजन साक्षी नवीन्द्र सिंह बोरा पी0डब्ल्यू0 11 ने कहा है कि केजीएन के तत्समय वाले रिटर्न फार्म में न तो कर मुक्त कृषि उपकरणों की बिक्री के बारे में प्रविष्टि है और न ही किसी कृषि उपकरण की बिक्री का कर जमा किया गया है। इससे स्पष्ट है कि केजीएन को जो भी एटीएल ऋण वाली धनराशि अन्तरित की गयी थी उससे कोई कृषि उपकरण नहीं खरीदे गये थे किन्तु शाखा प्रबन्धक की पोस्ट सैक्शन रिपोर्ट में कृषि उपकरण खरीदे जाने वाली बात की प्रविष्टि पायी गयी है, जिससे स्पष्ट है कि यह प्रविष्टि बेईमानीपूर्वक की गयी थी। केजीएन ट्रैक्टर एण्ड इक्विप्मेंट्स के मालिक मौहमद फुरकान ने जुर्म स्वीकार किर लिया है। किन्तु बैंक के शाखा प्रबन्धक राम

अवतार सिंह दिनकर ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि केजीएन ट्रैक्टर एण्ड इक्विप्मेंट्स को कोटेशन के सापेक्ष धनराशि अन्तरित करने के बावजूद अन्य अभियुक्तगण को कृषि उपकरणों की आपूर्ति क्यों नहीं की गयी। यह भी विचारणीय है कि बिना कृषि उपकरणों की आपूर्ति किये केजीएन ने कोटेशनों की ही धनराशि वाले बिल, जो राउण्ड फिगर में हैं, जारी किये गये और शाखा प्रबन्धक ने बिना कृषि उपकरणों की आपूर्ति का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित किये पोस्ट सैंक्शन रिपोर्ट अंकित कर दी। जबकि बैंक के मूवमेंट रजिस्टर में कृषि उपकरणों का भौतिक निरीक्षण करने की कोई प्रविष्टि नहीं पायी गयी। ऋणी अभियुक्त की ओर से तर्क किया गया है कि केजीएन द्वारा कृषि उपकरण न दिये जाने के कारण उन्होंने कृषि उपकरण खरीदने के लिये केजीएन से धनराशि वापस ली। किन्तु केजीएन द्वारा अधिकांश अभियुक्तगण को चैक के माध्यम से जो भी धनराशि दी है वह बैंकर्स चैक द्वारा केजीएन को दी गयी धनराशि से कम दर्शित है। किन्तु किसी भी ऋणी अभियुक्त द्वारा केजीएन के खिलाफ शिकायत करना दर्शित नहीं है, जबकि सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा। अतः स्पष्ट है कि अभियुक्तगण के मध्य ऋण स्वीकृति से पूर्व आपराधिक षडयन्त्र के तहत बैंक से धोखाधड़ी करने के बारे में मस्तिष्क का मिलन हुआ था तथा उनके मध्य दुरभिसन्धि मौजूद थी। इस प्रकार साक्ष्य से स्पष्ट है कि ऋणी अभियुक्तगण इस धोखाधड़ी में प्रवंचित व्यक्ति न होकर आपराधिक षडयन्त्र में उनकी सक्रिय भूमिका विद्यमान थी।

55. अभियोजन साक्ष्य से साबित है कि एटीएल ऋण ऐसे व्यक्तियों को भी स्वीकृत किये गये जिनके अन्य ऋण बकाया चल रहे थे। बैंक के पैनल अधिवक्ता सोहन लाल गोयल पी0डब्ल्यू0 16 द्वारा जांच के बाद दिये गये भार मुक्ति प्रमाणपत्रों में इस बात की पुष्टि होती है। अभियोजन साक्ष्य से यह दर्शित है कि ऋण की धनराशि से कतिपय ऋणियों के अन्य ऋण खातों को सैटल कर बन्द किये गये। अभियोजन साक्ष्य में आया है कि बैंक के समझौता ज्ञापन के अनुसार कृषि ऋणों में फसल, उपकरण और कास्तकार का बीमा नेशनल इन्श्योरेंस कम्पनी से कराया जाना था किन्तु ऋणी अभियुक्तगण से प्रार्थनापत्र लेकर बैंक के समझौते के विरूद्ध ओरियेण्टल इन्श्योरेंस कम्पनी से बीमा कराये गये। अभियोजन साक्ष्य से विदित है कि ऋणी किसानों के कृषि उपकरणों का बीमा बिना भौतिक निरीक्षण के किया गया था। बैंक के प्रचलित नियमों के अनुसार बैंक के द्वितीय अधिकारी को ऋण वितरण का कार्य दिया जाता किन्तु शाखा प्रबन्धक राम अवतार सिंह दिनकर ने यह कार्य द्वितीय अधिकारी को न देकर स्वयं किया गया ताकि इस आपराधिक षडयन्त्र को अंजाम दिया जा सके। साक्ष्य में आया है कि ऋणी अभियुक्तगण के पास नये कृषि उपकरण नहीं पाये गये थे और जो भी उपकरण

उनके पास पाये गये थे वे पुराने उपकरण थे। किन्तु शाखा प्रबन्धक ने बेईमानीपूर्वक अभिलेखों में यह दिखाया गया कि स्वीकृत एटीएल ऋण से खरीदे कृषि उपकरण सही गुणवत्ता के पाये गये। केजीएन की अभिरक्षा से सीज रजिस्टर में यूजीबी शाखा बाजपुर के प्रबन्धक को कमीशन देने की प्रविष्टि पायी गयी। कमीशन की इस प्रविष्टि पर इसलिये विश्वास किया जा सकता है क्योंकि शाखा प्रबन्धक ने इन ऋणों की स्वीकृति ''ऐन केन प्रकारेण'' प्रणाली में बैंक के नियम कानूनों की अनदेखी कर की गयी जो बिना हेतुक के सम्भव नहीं है। साक्ष्य में यह आया है कि अधिकांश ऋण खाते एनपीए हो जाने के कारण बैंक को मु0 3,39,84,657/—रूपये का नुकसान हुआ। एनपीए की यह धनराशि केसीएल व एटीएल के प्रचलित ब्याज दरों पर आकलित की जानी प्रतीत है अन्यथा सामान्य ऋणों की ब्याज दर पर यह धनराशि काफी अधिक होती।

56. बचाव पक्ष का तर्क है कि अभियुक्तगण द्वारा ऋण हेतु बैंक में जो भी दस्तावेज प्रस्तुत किये वे कूटरचित दस्तावेज नहीं थे। यह सही है कि अभियुक्तगण के जमीन के दस्तावेज व उनके पहचान पत्र आदि कूटरचित नहीं थे किन्तु अभियुक्तगण द्वारा उन पर कोई ऋण देयता न होने के झूठे शपथपत्र दिये गये, स्थलीय निरीक्षण किये जाने की झूठी आख्यायें दी गयी तथा बिना कृषि उपकरण खरीद किये उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी किये गये। झूठे कथनों के शपथपत्र देकर अभियुक्तगण द्वारा ऋण प्राप्त करने के लिये बैंक को प्रवंचित किया गया और आपराधिक षडयन्त्र के तहत बैंक को सदोष हानि पहुंचायी गयी। अभियुक्तगण द्वारा शपथपत्रों में झूठे कथन किये गये ताकि ऋण प्रदान करने के लिये बैंक को प्रवंचित किया जा सके। जिससे स्पष्ट है कि अभियुक्तगण ने धोखाधड़ी के आशय से ऐसी झूठी सूचनायें दी थी।

57. अभियुक्तगण की ओर से यह भी तर्क किया गया है कि उनके और बैंक के मध्य निष्पादित ऋण अनुबन्ध के फलस्वरूप उनके द्वारा बैंक से जो भी धनराशि प्राप्त की गयी वह विधिपूर्ण एवं वैध थी। यदि ऋण अनुबन्ध के आलोक में ऋण के पुनर्भुगतान की कोई चूक हुई थी तो इसके लिये वसूली वाद के लिये सिविल न्यायालय को क्षेत्राधिकार प्राप्त था। बचाव पक्ष द्वारा इस सन्दर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय ***M/s. Mega Motors (Cvd) vs. M/s. Tata Motors Ltd. And Ors. 2020(4) RCR(Criminal) 91*** पर विश्वास किया गया है जिसमें माननीय न्यायालय ने यह विधि सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि पक्षकारों के मध्य संविदा का विवाद वाणिज्यिक संव्यवहार से जनित होने के कारण इसमें आपराधिक प्रक्रिया लागू करना न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग है। इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय ने ***Srichand Rajaram Kukreja and anr. vs. the State of Maharashtra and anr. 2025 INSC 794*** मामले

में यह विधि सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि प्राथमिकी में किये गये कथनों से यदि विशुद्ध सिविल विवाद प्रकट होता है तो वाणिज्यिक देयताओं की वसूली हेतु पुलिस मशीनरी का प्रयोग करना न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग है। किन्तु साक्ष्य के विश्लेषण में स्पष्ट हुआ है कि अभियुक्तगण द्वारा आपराधिक षडयन्त्र के तहत बेईमानीपूर्वक आशय से ऋण जारी किया गया और ऋण प्राप्त किया गया। यह सही है कि बैंक और ऋणी के मध्य अनुबन्ध था और इसके अनुपालन करने में किसी भी पक्षकार की चूक का उपचार सिविल न्यायालय से प्राप्त हो सकता था। किन्तु आपराधिक आशय से निष्पादित अनुबन्ध पत्र जिससे बैंक को मूल्यवान सम्पत्ति प्रदत्त करने के लिये प्रवंचित किया गया हो, एटीएल ऋण के सापेक्ष कोई भी कृषि उपकरण न खरीदे गये हों किन्तु उपयोगिता प्रमाणपत्र जारी किया गया हो तो मामला केवल ऋण खाते एनपीए होकर बैंक की हानि का नहीं अपितु बैंक को सदोष हानि पहुंचाने और अभियुक्तगण द्वारा सदोष लाभ प्राप्त करने का है जिसका उपचार सिविल न्यायालय से प्राप्त नहीं हो सकता। क्योंकि ऋण वसूली एक व्यक्तिगत अनुबन्ध पर आधारित सिविल कार्यवाही है जबकि आपराधिक षडयन्त्र और धोखाधड़ी राज्य के विरूद्ध एक गम्भीर प्रकृति का अपराध है। इसके अलावा यह भी महत्वपूर्ण है कि बैंक ऋण का प्रयोजन प्राप्त किये बिना शाखा प्रबन्धक द्वारा उपयोगिता प्रमाणपत्र जारी कर देना और ऐसे ऋण खाते एनपीए हो जाना बैंकर और लोकसेवक द्वारा किया गया आपराधिक कदाचार है जिसका उपचार सिविल न्यायालय से प्राप्त नहीं किया जा सकता।

58. बचाव पक्ष की ओर से कहा गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में जितने ऋणियों के नाम दिये गये थे उनमें से सभी ऋणियों के विरूद्ध आरोप पत्र प्रेषित नहीं किया गया है। विवेचक ने स्पष्ट किया है कि जिन ऋणियों ने केजीएन से नकद पैंसा वापस लेना बताया उनके विरूद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है क्योंकि बिना दस्तावेजी साक्ष्य के केवल ऐसे ऋणियों की संस्वीकृति के आधार पर उनके विरूद्ध आरोप साबित नहीं किये जा सकते थे। इसके अलावा बचाव पक्ष ने यह भी कहा है कि ऋणी अभियुक्तगण ने केजीएन से पैंसा वापस लेकर स्वयं कृषि उपकरण खरीदे और ऋण का प्रयोजन प्राप्त कर लिया था। किन्तु अभियोजन साक्ष्य में यह साबित नहीं है कि अभियुक्तगण ने केजीएन से वापस प्राप्त धनराशि के कृषि उपकरण खरीदे थे न ही बचाव पक्ष ने ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं। बचाव पक्ष के इस तर्क को इसलिये भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि अधिकांश ऋणियों ने केजीएन से उतनी धनराशि वापस प्राप्त नहीं की जितनी धनराशि केजीएन को कृषि उपकरणों की आपूर्ति हेतु बैंकर्स चैकों के माध्यम से अन्तरित की गयी थी। यह मान भी लिया जाय कि

अभियुक्तगण ने केजीएन से वापस प्राप्त धनराशि से कृषि उपकरण खरीदे थे, हालांकि अभिलेख में ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है, तथापि उन्होंने उतनी धनराशि के कृषि उपकरण नहीं खरीदे जितनी धनराशि के लिये उनको एटीएल ऋण स्वीकृत हुआ था। ऐसे में तय है कि ऋण का प्रयोजन प्राप्त नहीं हुआ था।

59. यह भी तर्क किया गया है कि ऋणी अभियुक्तगण इस ऋण को प्राप्त करने से पहले शाखा प्रबन्धक राम अवतार सिंह दिनकर और केजीएन के मौहम्मद फुरकान को नहीं जानते थे, इस कारण आपराधिक षडयन्त्र का आरोप आधारहीन है। किन्तु अभियोजन साक्ष्य में आया है कि बैंक के शाखा प्रबन्धक ने केवल केजीएन से प्रचलित दरों से उपर के कोटेशन लिये और ऋणी अभियुक्तगण के ऋण शपथपत्रों व अन्य दस्तावेजों पर केजीएन के मालिक के हस्ताक्षर बतौर गवाह पाये गये। केजीएन द्वारा ऋणी अभियुक्तगण को उतनी धनराशि के चैक नहीं दिये गये जो उसको कृषि उपकरणों की आपूर्ति के लिये जारी किये गये थे किन्तु ऋणी अभियुक्तगण ने इस बारे में कोई कार्यवाही नहीं की। ऐसे में तय है कि अभियुक्तगण के मध्य आपराधिक षडयन्त्र मौजूद था। यह भी कहा गया है कि ऋणी अभियुक्तगण का बैंक को धोखा देने का कोई पूर्व आशय साबित नहीं है जिस कारण धोखाधड़ी का कोई अपराध नहीं बनता है। किन्तु साक्ष्य से स्पष्ट है कि ऋणी अभियुक्तगणों ने अपनी वास्तविक देनदारियां शपथपत्र में दर्शित नहीं की थी तथा शाखा प्रबन्धक ने भी भार मुक्त प्रमाणपत्र की प्रविष्टियों पर विचार किये बिना ऋण स्वीकार किये थे। अभियोजन साक्ष्य में यह भी आया है कि अन्य देनदारियों को इसी ऋण से निपटा कर बाद में बैंकों के अनापत्ति प्रमाणपत्र लिये गये थे। अभिलेख में ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है कि ऋणी अभियुक्तगण ने कृषि उपकरण खरीदे थे किन्तु अभिलेख में यह स्पष्ट साक्ष्य है कि ऋण फाईलों में कृषि उपकरण केजीएन से खरीद करने के बिल, कृषि उपकरणों के बीमा, कृषि उपकरणों की गुणवत्ता का सत्यापन तथा उपयोगिता प्रमाणपत्र मौजूद हैं। यदि अभियुक्तगण का बैंक को धोखा देने का पूर्व आशय न होता तो ऋणी किसानों द्वारा झूठा शपथपत्र न दिया जाता तथा उनकी ऋण फाईलों में खरीद के बिल, कृषि उपकरणों के बीमा, गुणवत्ता का सत्यापन एवं उपयोगिता प्रमाणपत्र न लगे होते। स्पष्ट है कि ऋणी अभियुक्तगण द्वारा लिये गये ऋण का प्रयोजन प्राप्त नहीं हुआ किन्तु उनके द्वारा ऋण खाते एनपीए कर बैंक को धोखा देते हुए सदोष हानि पहुंचायी गयी।

60. बचाव पक्ष का यह भी कहना है कि ऋणी अभियुक्तगण ने जो भी ऋण लिया था उसकी प्रविष्टियां खाता खतौनियों में की गयी थी और उनके द्वारा ऋण का गलत प्रयोग नहीं किया गया। किन्तु अभिलेख में एटीएल ऋण से कृषि उपकरणों की खरीद करने की साक्ष्य

नहीं है जिस कारण बचाव पक्ष का तर्क स्वीकार नहीं किया जा सकता। बचाव पक्ष का यह भी कहना है कि यदि शपथपत्र में किये गये कथन झूठे भी हैं तो भी यह धारा 192 आईपीसी का अपराध होता है और धारा 420 का कोई अपराध नहीं बनता है। किन्तु जैसा कि पूर्व में बताया गया है कि ऋणी अभियुक्तगण द्वारा शपथपत्र में किये गये अदेयता सम्बन्धी कथन महज झूठे कथन नहीं हैं बल्कि बैंक को धोखा देने की नीयत से किये गये हैं और षडयन्त्रपूर्वक इन कथनों पर, एनईसी रिपोर्ट इसके विरूद्ध होते हुए भी, विश्वास कर स्वीकार किये गये हैं।

61. अभियुक्त राम अवतार सिंह दिनकर की ओर से यह तर्क किया गया है कि उसने बैंक के नियमानुसार ऋणियों की सम्पत्ति बंधक रखकर एवं जमानतें लेकर किसानों को ऋण वितरित किये थे। यह भी कहा है कि पूर्व से बन्धक सम्पत्ति पर नया ऋण न दिये जाने का बैंक का कोई नियम नहीं है। यह सही है कि अभियोजन पक्ष द्वारा यह दर्शित नहीं किया गया है कि पूर्व से बन्धक सम्पत्ति पर नया ऋण न दिये जाने वाला बैंक का कोई नियम है। किन्तु सम्पत्ति बन्धक रखना ही यह स्पष्ट कर देता है कि ऋणी द्वारा ऋण धनराशि पुनर्भुगतानित न किये जाने पर यह बन्धक सम्पत्ति से वसूल किया जाये। किन्तु अभिलेख में शाखा प्रबन्धक राम अवतार सिंह दिनकर द्वारा बन्धक सम्पत्ति का मूल्यांकन कर देयता का विश्लेषण नहीं किया गया है, ऋणी अभियुक्तगण ने कृषि उपकरण नहीं खरीदे हैं और उनके ऋण खाते एनपीए हुए हैं। ऋण स्वीकृत होने से पूर्व बैंक से ऋण प्रवंचित करने हेतु उनके द्वारा झूठे शपथपत्र दिये गये हैं जो आपराधिक षडयन्त्र और धोखाधड़ी के अपराध की पुष्टि करता है। यह भी कहा गया है कि उस समय बैंक में फील्ड ऑफिसर कार्यरत नहीं था तथा कार्य अधिकता के कारण वह स्थलीय निरीक्षण नहीं कर पाया। अभियुक्त की ओर से किया गया यह कथन एक बैंकर के रूप में आपराधिक कदाचार के अपराध की संस्वीकृति की श्रेणी की है। यदि अभियुक्त स्थलीय निरीक्षण नहीं कर पाया तो उसने दस्तावेजों में पोस्ट सैंक्शन सर्वे रिपोर्ट क्यों अंकित कर दी कि कृषि उपकरण सही गुणवत्ता के पाये गये और ऋण का सही उपयोग हुआ है। जबकि अभियोजन साक्षी हेमचन्द्र उपाध्याय पी0डब्ल्यू0 18 ने कहा है कि ऋण का कार्य शाखा प्रबन्धक द्वारा स्वयं लिया गया था तथा उसको लेखा का कार्य आबंटित किया था। बचाव पक्ष की ओर से यह भी तर्क किया गया है कि अभियुक्त राम अवतार सिंह दिनकर को सदोष लाभ प्राप्त होने विषयक कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है तथा केजीएन के रजिस्टर में की गयी प्रविष्टि साबित न होने के कारण विश्वसनीय नहीं है। किन्तु मामले की परिस्थितियां जैसे ऋणी अभियुक्तगण को एटीएल ऋण के मार्जिन मनी के लिये केसीसी ऋण स्वीकृत करना, ऋणी अभियुक्तगण के अन्य देयताओं को नजरअन्दाज कर ऋण स्वीकृत

करना, ऋण की धनराशि ऋणी अभियुक्तगण के बचत खाते में अन्तरित करना तथा कृषि उपकरणों की खरीद हेतु उच्च दरों पर केवल केजीएन ट्रैक्टर एण्ड इक्विप्मेंट्स के कोटेशन के आधार पर फर्म को बैंकर्स चैक जारी करना आदि यह बताती हैं कि ऐसा बिना हेतुक के नहीं किया जा सकता था। केजीएन फर्म से कब्जे में लिये रजिस्टर की तत्सम्बन्धी प्रविष्टि तथा अभियोजन कथनानुसार केजीएन द्वारा की गयी राम अवतार सिंह दिनकर की टूर फण्डिंग इन परिस्थितियों में अविश्वसनीय प्रतीत नहीं होते।

62. बचाव पक्ष का यह भी कहना है कि ऋणी अभियुक्तगण के खातों का एनपीए हो जाना न तो आपराधिक षडयन्त्र का, न ही धोखाधड़ी का और न ही आपराधिक कदाचार का अपराध गठित करता है क्योंकि अभियुक्तगण के मध्य पूर्व आशय को साबित नहीं किया गया है। किन्तु अभियोजन साक्ष्य के विश्लेषण में पाया गया है कि अभियुक्तगण के मध्य ऋण स्वीकृति से पूर्व मस्तिष्कों का मिलन हुआ था तथा यह आपराधिक षडयन्त्र बैंक को क्षति पहुंचाने के बेईमानीपूर्वक आशय से किया गया था। यह भी कहा गया है कि शाखा प्रबन्धक ने अपनी स्वीकृत ऋण सीमा से अधिक का कोई ऋण स्वीकृत नहीं किया। अभियोजन साक्षियों की साक्ष्य में यह आया है कि अभियुक्त राम अवतार सिंह दिनकर ने अपनी स्वीकृत सीमा के अन्तर्गत ही ऋण स्वीकार किया था।

63. अतः उपरोक्त विश्लेषण के अनुसार अभियोजन पक्ष अभियुक्त **ए–1** राम अवतार सिंह दिनकर के विरूद्ध लगाये गये आरोप अंतर्गत धारा 120बी, धारा 420 आई.पी.सी तथा धारा 13(2) सपठित धारा 13 (1)(डी) पी.सी. एक्ट 1988 तथा अन्य अभियुक्तगण **ए–3** मंजीत सिंह पुत्र बाजा सिंह, **ए–5** रमेश सिंह, **ए–6** प्रीतम सिंह, **ए–7** सर्वजीत सिंह, **ए–8** भीम सैन, **ए–9** कृष्ण कुमार, **ए–11** सरजीत सिंह तथा **ए–13** मंजीत सिंह पुत्र जसवन्त सिंह के विरूद्ध लगाये गये आरोप अंतर्गत धारा 120बी, धारा 420 आई.पी.सी. को युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित करने में सफल रहा है। तदनुसार अभियुक्त **ए–1** राम अवतार सिंह दिनकर आरोप अंतर्गत धारा 120बी, धारा 420 आई.पी.सी तथा धारा 13(2) सपठित धारा 13 (1)(डी) पी.सी. एक्ट 1988 में तथा अभियुक्तगण **ए–3** मंजीत सिंह पुत्र बाजा सिंह, **ए–5** रमेश सिंह, **ए–6** प्रीतम सिंह, **ए–7** सर्वजीत सिंह, **ए–8** भीम सैन, **ए–9** कृष्ण कुमार, **ए–11** सरजीत सिंह तथा **ए–13** मंजीत सिंह पुत्र जसवन्त सिंह को आरोप अन्तर्गत धारा 120बी, धारा 420 आई.पी.सी में दोषसिद्ध किया जाता है। अभियुक्तगण जमानत पर हैं, उनके व्यक्तिगण्त बन्धपत्र और जमानतनामे निरस्त करते हुए जमानतियों को दायित्व से उन्मोचित किया जाता है। अभियुक्तगण उपरोक्त को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाता है।

64. अभियुक्तगण को सजा के प्रश्न पर अपरान्ह 01:20 बजे सुना जाएगा।

दिनांक : 15.04.2026

(मदन राम)
विशेष न्यायाधीश सीबीआई
देहरादून

<u>दिनांक 15.04.2026 अपरान्ह 01:20 बजे</u>

65. पत्रावली पेश हुई। अभियुक्तगण को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। अभियुक्त राम अवतार सिंह दिनकर की ओर से कहा गया है कि वह इस मामले में तीन साल से अधिक जेल में रह चुका है तथा उसने बितायी अवधि पर ही छोड़े जाने की याचना की गयी है। अन्य अभियुक्तगण की ओर से विद्वान अधिवक्तागण का कहना है कि उनका कोई अपराधिक इतिहास नहीं है तथा यह उनका पहला अपराध है। यह भी कहा गया है कि अभियुक्तगण घर गृहस्थी वाले कास्तकार, वरिष्ठ नागरिक हैं तथा अक्सर बीमार रहते हैं। यह कहा गया है कि अभियुक्तगण पर दया करते हुए कम से कम सजा एवं कम से कम जुर्माने से दण्डित किया जाये।

66. अभियोजन पक्ष की ओर कहा गया है कि अभियुक्तगण का अपराध गम्भीर प्रकृति का है तथा इसका प्रभाव केवल बैंक पर ही नहीं अपितु समाज पर पड़ा है। इस सन्दर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि सिद्धान्त ***शांति लाल मीणा बनाम दिल्ली राज्य सी.बी.आई. (2015) 6 सुप्रीम कोर्ट केसेज 185*** पर विश्वास व्यक्त किया गया है। उक्त विधि सिद्धान्त में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि भ्रष्टाचार के मामलो में सजा देने का उद्देश्य केवल ऐसे अपराधों की पुनरावृत्ति को रोकना है। इसलिये न्यायालय को ऐसे मामलो में उचित सजा देनी चाहिए अन्यथा आम आदमी का न्याय से विश्वास उठ जायेगा। यह कहा गया है कि न्यायालय द्वारा अभियुक्त के साथ अनावश्यक सहानुभूति व अनावश्यक नरमी बरतना आम जनता में गलत संदेश भेज सकती है। न्यायालय को यह ध्यान रखना चाहिए कि आम जनता यह अपेक्षा करती है कि समाज में भ्रष्टाचार रोका जाए जो शीघ्र दोषसिद्धि एवं कड़े दंड से ही सम्भव हो सकता है। यह कहा गया कि अभियुक्तगण को अधिक से अधिक सजा दी जाए।

67. अतः यह न्यायालय अपराध की प्रकृति एवं गंभीरता तथा अभियुक्तगण की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए निम्न सजा से दंडित किया जाना न्यायोचित पाता है।

आदेश

68. अभियुक्त **ए–1** राम अवतार सिंह दिनकर को आरोप अंतर्गत धारा 120बी, धारा 420 आई.पी.सी तथा धारा 13(2) सपठित धारा 13 (1)(डी) पी.सी. एक्ट, 1988 में तथा अभियुक्तगण **ए–3** मंजीत सिंह पुत्र बाजा सिंह, **ए–5** रमेश सिंह, **ए–6** प्रीतम सिंह, **ए–7** सर्वजीत सिंह, **ए–8** भीम सैन, **ए–9** कृष्ण कुमार, **ए–11** सरजीत सिंह तथा **ए–13** मंजीत सिंह पुत्र जसवन्त सिंह को आरोप अंतर्गत धारा 120बी एवं धारा 420 आई.पी.सी में दोषसिद्ध किया जाता है।

69. दोषसिद्ध राम अवतार सिंह दिनकर को धारा 120बी(1) आई.पी.सी. के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए एक वर्ष के कठोर कारावास की सजा तथा मु0 15,000/–रूपये (पन्द्रह हजार रूपये) अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड अदा न करने की दशा में दोषसिद्ध एक माह का अतिरिक्त कारावास भोगेगा।

70. दोषसिद्ध राम अवतार सिंह दिनकर को धारा 420 आई.पी.सी. के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए एक वर्ष के कठोर कारावास की सजा तथा 15,000/–रूपये (पन्द्रह हजार रूपये) अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड अदा न करने की दशा में दोषसिद्ध एक माह का अतिरिक्त कारावास भोगेगा।

71. दोषसिद्ध राम अवतार सिंह दिनकर को धारा 13(2) सपठित धारा 13 (1)(डी) पी. सी. एक्ट, 1988 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा तथा 20,000/–रूपये (बीस हजार रूपये) अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड अदा न करने की दशा में दोषसिद्ध दो माह का अतिरिक्त कारावास भोगेगा।

72. दोषसिद्ध व्यक्तियों **ए–3** मंजीत सिंह पुत्र बाजा सिंह,**ए–5** रमेश सिंह, **ए–6** प्रीतम सिंह, **ए–7** सर्वजीत सिंह, **ए–8** भीम सैन, **ए–9** कृष्ण कुमार, **ए–11** सरजीत सिंह तथा **ए–13** मंजीत सिंह पुत्र जसवन्त सिंह को धारा 120बी आई.पी.सी. के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए प्रत्येक को एक–एक वर्ष के कठोर कारावास की सजा तथा 15,000/–रूपये–15,000/–रूपये (पन्द्रह–पन्द्रह हजार रूपये) अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड अदा न करने की दशा में सम्बन्धित दोषसिद्ध को एक–एक माह का अतिरिक्त कारावास भोगेगा।

73. दोषसिद्ध व्यक्तियों **ए–3** मंजीत सिंह पुत्र बाजा सिंह, **ए–5** रमेश सिंह, **ए–6** प्रीतम सिंह, **ए–7** सर्वजीत सिंह, **ए–8** भीम सैन, **ए–9** कृष्ण कुमार,**ए–11** सरजीत सिंह तथा **ए–13** मंजीत सिंह पुत्र जसवन्त सिंह को धारा 420 आई.पी.सी. के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए

प्रत्येक को एक–एक वर्ष के कठोर कारावास की सजा तथा 15,000/–रूपये–15,000/–रूपये (पन्द्रह–पन्द्रह हजार रूपये) अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड अदा न करने की दशा में सम्बन्धित दोषसिद्ध एक–एक माह का अतिरिक्त कारावास भोगेगा।

74. दोषसिद्ध व्यक्तियों द्वारा यदि इस मामले में कोई अवधि जेल में बिताई गई है तो वह अवधि इस सजा में समायोजित की जायेगी तथा सभी सजायें साथ–साथ चलेंगी।

75. इस निर्णय की निःशुल्क प्रति प्रत्येक दोषसिद्ध को अविलम्ब प्रदान की जाए। दोषसिद्ध व्यक्तियों का सजायावी वारन्ट तैयार कर जिला कारागार, देहरादून भेजा जाए।

76. पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल अभिलेखागार हो।

दिनांक : 15.04.2026

(मदन राम)
विशेष न्यायाधीश सीबीआई
देहरादून।

निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनॉकित कर उद्घोषित किया गया।

दिनांक : 15.04.2026

(मदन राम)
विशेष न्यायाधीश सीबीआई
देहरादून।

अभियोजन पक्ष की प्रलेखीय साक्ष्य

क0 सं0	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	प्रदर्श संख्या क–1/पीडब्लू–1	शिकायती पत्र 12.06.2018
2	प्रदर्श संख्या क–2/पीडब्लू–2	जांच आख्या प्रेषण पत्र
3	प्रदर्श संख्या क–3/पीडब्लू–2	बैंक की जांच आख्या
4	प्रदर्श संख्या क–4/पीडब्लू–4	सी.बी.आई. को बीमा सम्बन्धी लिखा गया पत्र
5	प्रदर्श संख्या क–5/पीडब्लू–6	जांच रिपोर्ट
6	प्रदर्श संख्या क–6/पीडब्लू–7	ऋणी की पोस्ट सेंक्सन रिव्यू रिपोर्ट
7	प्रदर्श संख्या क–7/पीडब्लू–7	डिमाण्ड ड्राफ्ट की जमा पर्ची
8	प्रदर्श संख्या क–8/पीडब्लू–7	ऋणी गजपाल सिंह की पोस्ट सेंक्सन रिपोर्ट
9	प्रदर्श संख्या क–9/पीडब्लू–7	ड्राफ्ट बनवाने हेतु आवेदन स्लिप
10	प्रदर्श संख्या क–10/पीडब्लू–7	ऋणी की पोस्ट सेंक्सन रिपोर्ट
11	प्रदर्श संख्या क–11/पीडब्लू–7	सेवा सिंह फाईल
12	प्रदर्श संख्या क–12/पीडब्लू–7	रमेश सिंह केसीसी फाईल
13	प्रदर्श संख्या क–13/पीडब्लू–7	रमेश सिंह एटीएल फाईल
14	प्रदर्श संख्या क–14/पीडब्लू–7	तोता सिंह केसीसी फाईल
15	प्रदर्श संख्या क–15/पीडब्लू–7	तोता सिंह एटीएल फाईल
16	प्रदर्श संख्या क–16/पीडब्लू–7	प्रीतम सिंह केसीसी फाईल
17	प्रदर्श संख्या क–17/पीडब्लू–7	प्रीतम सिंह एटीएल फाईल
18	प्रदर्श संख्या क–18/पीडब्लू–7	बलजिन्दर सिंह केसीसी फाईल

19	प्रदर्श संख्या क–19 / पीडब्लू–7	बलजिन्दर सिंह एटीएल फाईल
20	प्रदर्श संख्या क–20 / पीडब्लू–7	श्रीमती दलवीर कौर केसीसी फाईल
21	प्रदर्श संख्या क–21 / पीडब्लू–7	श्रीमती दलवीर कौर एटीएल फाईल
22	प्रदर्श संख्या क–22 / पीडब्लू–7	भीम सैन केसीसी फाईल
23	प्रदर्श संख्या क–23 / पीडब्लू–7	भीम सैन एटीएल फाईल
24	प्रदर्श संख्या क–24 / पीडब्लू–7	करनैल सिंह केसीसी फाईल
25	प्रदर्श संख्या क–25 / पीडब्लू–7	करनैल सिंह एटीएल फाईल
26	प्रदर्श संख्या क–26 / पीडब्लू–7	कृष्ण कुमार केसीसी फाईल
27	प्रदर्श संख्या क–27 / पीडब्लू–7	कृष्ण कुमार एटीएल फाईल
28	प्रदर्श संख्या क–28 / पीडब्लू–7	कुलदीप सिंह केसीसी फाईल
29	प्रदर्श संख्या क–29 / पीडब्लू–7	कुलदीप सिंह एटीएल फाईल
30	प्रदर्श संख्या क–30 / पीडब्लू–7	सरजीत सिंह केसीसी फाईल
31	प्रदर्श संख्या क–31 / पीडब्लू 7	सरजीत सिंह एटीएल फाईल
32	प्रदर्श संख्या क–32 / पीडब्लू–7	वेद प्रकाश केसीसी फाईल
33	प्रदर्श संख्या क–33 / पीडब्लू–7	वेद प्रकाश एटीएल फाईल
34	प्रदर्श संख्या क–34 / पीडब्लू 7	श्रीमती लक्ष्मी बाई केसीसी फाईल
35	प्रदर्श संख्या क–35 / पीडब्लू–7	श्रीमती लक्ष्मी बाई एटीएल फाईल
36	प्रदर्श संख्या क–36 / पीडब्लू–7	मनजीत सिंह पुत्र जसवंत सिंह केसीसी फाईल
37	प्रदर्श संख्या क–37 / पीडब्लू–7	मनजीत सिंह पुत्र जसवंत सिंह एटीएल फाईल
38	प्रदर्श संख्या क–38 / पीडब्लू–7	करनैल सिंह केसीसी फाईल
39	प्रदर्श संख्या क–39 / पीडब्लू–7	करनैल सिंह एटीएल फाईल
40	प्रदर्श संख्या क–40 / पीडब्लू–7	अशोक कुमार केसीसी फाईल

41	प्रदर्श संख्या क–41 / पीडब्लू–7	अशोक कुमार एटीएल फाईल
42	प्रदर्श संख्या क–42 / पीडब्लू–7	रूलिया सिंह केसीसी फाईल
43	प्रदर्श संख्या क–43 / पीडब्लू–7	रूलिया सिंह एटीएल फाईल
44	प्रदर्श संख्या क–44 / पीडब्लू–8	बैंकर्स बुक ऑफ एविडेंस एक्ट सर्टिफिकेट
45	प्रदर्श संख्या क–45 / पीडब्लू–8	खाता विवरणी केजीएन
46	प्रदर्श संख्या क–46 / पीडब्लू–8	ऋणियों की खाता विवरणी
47	प्रदर्श संख्या पी–47 / पीडब्लू–9	सीजर मेमो
48	प्रदर्श संख्या पी–48 से प्रदर्श पी–67 / पीडब्लू–9	इंश्योरेंस पॉलिसी प्रस्ताव अभियुक्तगण
49	प्रदर्श संख्या पी–68 / पीडब्लू–9	पालिसी मंजीत सिंह पुत्र बाजा सिंह
50	प्रदर्श संख्या पी–69 / पीडब्लू–9	पालिसी गजपाल सिंह
51	प्रदर्श संख्या पी–70 पीडब्लू–9	पालिसी रमेश सिंह
52	प्रदर्श संख्या पी–71 / पीडब्लू–9	पालिसी प्रीतम सिंह
53	प्रदर्श संख्या पी–72 / पीडब्लू–9	पालिसी प्रीतम सिंह
54	प्रदर्श संख्या पी–73 / पीडब्लू–9	पालिसी सरजीत सिंह एवं दलवीर सिंह
55	प्रदर्श संख्या पी–74 / पीडब्लू–9	पालिसी भीम सेन
56	प्रदर्श संख्या पी–75 / पीडब्लू–9	पालिसी कृष्ण कुमार
57	प्रदर्श संख्या पी–76 / पीडब्लू–9	पालिसी कुलदीप सिंह
58	प्रदर्श संख्या पी–77 / पीडब्लू–9	पालिसी सरजीत सिंह
59	प्रदर्श संख्या पी–78 / पीडब्लू–9	पालिसी रिन्यूअल सरजीत सिंह
60	प्रदर्श संख्या पी–79 / पीडब्लू–9	पालिसी मंजीत सिंह पुत्र जसवन्त सिंह

61	प्रदर्श संख्या पी–80 / पीडब्लू–9	पालिसी करनैल सिंह
62	प्रदर्श संख्या पी–81 / पीडब्लू–9	पालिसी अशोक कुमार
63	प्रदर्श संख्या पी– 82 से पी– 85 / सी.डब्लू–1	पत्र बावत जांच अधिकारी नियुक्त करने
64	प्रदर्श संख्या पी–86 / पीडब्लू–11	केजीएन वार्षिक कर विवरणी
65	प्रदर्श संख्या पी–87 / पीडब्लू–12	सीजर मेमो
66	प्रदर्श संख्या पी–88 / पीडब्लू–12	ओरियन्टल इन्श्योरेंस कम्पनी से बीमा कराये जाने हेतु पत्र
67	प्रदर्श संख्या पी–89 / पीडब्लू–12	फसल बीमा न कराये जाने हेतु पत्र
68	प्रदर्श संख्या पी–90 / पीडब्लू–14	परिपत्र दिनांक 12.02.2015
69	प्रदर्श संख्या पी–91 / पीडब्लू–14	परिपत्र दिनांक 11.02.2015
70	प्रदर्श संख्या पी–92 / पीडब्लू–14	परिपत्र
71	प्रदर्श संख्या पी–93 / पीडब्लू–14	टैक्टर ऋण योजना परिपत्र
72	प्रदर्श संख्या पी–94 से पी–98 / पीडब्लू–14	विभिन्न परिपत्रों प्रतियां
73	प्रदर्श संख्या पी–99 / पीडब्लू–15	सीजर मेमो
74	प्रदर्श संख्या पी–100 / पी.डब्लू. 15	परिपत्र दिनांक 03.10.2023
75	प्रदर्श संख्या पी–101 / पीडब्लू–15	परिपत्र दिनांक 28.12.2022
76	प्रदर्श संख्या पी–102 / पीडब्लू–17	अभियोजन स्वीकृति रामअवतार सिंह दिनकर
77	प्रदर्श संख्या पी–103 / पीडब्लू– 19	प्रथम सूचना रिपोर्ट
78	प्रदर्श संख्या पी–104 / पीडब्लू–19	सीजर मेमो
79	प्रदर्श संख्या पी–105 / पीडब्लू–19	सीजर मेमो
80	प्रदर्श संख्या पी–106 / पीडब्लू– 19	सीजर मेमो तथा रजिस्टरों की छाया प्रतियां

81	प्रदर्श संख्या पी–107 / पीडब्लू– 19	बैंक मेमोरेण्डम
82	प्रदर्श संख्या पी–108 / पीडब्लू– 19	आरोप पत्र

दिनांक : 15.04.2026

(मदन राम)
विशेष न्यायाधीश सीबीआई
देहरादून।